वुज़ू-ग़ुस्ल

और
पाकी-नापाकी के मसाइल

लेखक
मौलाना मुफ़ती मुहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी रह०

सवाल व जवाब की शक्ल में दीनी
मसाईल का अनमोल ख़ज़ाना

वुज़ू ग़ुस्ल

और पाकी-नापाकी के मसाईल

लेखक

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी रह०

हिन्दी अनुवादक मुहम्मद इमरान क़ासमी

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा. लि.)

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज

नई दिल्ली-110002

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब	वुज़ु गुस्ल और पाकी-नापाकी के मसाईल
लेखक	मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी
हिन्दी अनुवादक	मुहम्मद इमरान क़ासमी
संयोजक	मुहम्मद नासिर ख़ान
तायदाद	1100
प्रकाशन वर्ष	
कम्पोज़िंग	इमरान कम्प्यूटर्स मुज़फ़्फ़र नगर (09456095608)

>>>>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा०) लि०

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई देहली-110002

फ़ोन आफ़िस, 23289786, 23289159 आवास, 23280786

फ़ेहरिस्त उनवानात

उनवान	पेज

वुज़ू के मसाईल

पानी के अहकाम

उनवान	पेज

हैज़ व निफ़ास

नजासत और पाकी के मसाईल

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

वुज़ू के मसाईल

गुस्ल से पहले वुज़ू करने की तफ़सील

सवालः एक क़ारी (पाठक) के एक सवाल के जवाब में आपने गुस्ल और वुज़ू के मुताल्लिक़ तहरीर फ़रमाया है कि गुस्ल करने से वुज़ू हो जाता है। इसलिए गुस्ल के बाद वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं, नमाज़ पढ़ी जा सकती है। बल्कि जब तक उस गुस्ल से कम से कम दो रक्अ़त न पढ़ ली जाएँ दोबारा वुज़ू करना गुनाह है।

मैंने खुद बहुत बार यह मसला किताबों में पढ़ा है लेकिन आप जैसे उलेमा हज़रात से कभी फ़ायदा नहीं उठाया और अब तक शुकूक व शुब्हात में मुब्तला रहा। बराहे करम मेरी तसल्ली व तशफ़्फ़ी के लिए और दूसरे मेरे जैसे पाठकों की भलाई की ख़ातिर ज़रा तफ़सील से इस मसले की वज़ाहत फ़रमाएँ।

जैसा कि आपके इल्म में है कि वुज़ू में एक बार चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है, अब अगर एक शख़्स पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है तब तो वह वुज़ू भी करेगा, लेकिन एक शख़्स पाकी की हालत में गुस्ल करता है तो ज़ाहिर है वह वुज़ू नहीं करेगा, फिर चौथाई सर का मसह के क्या मायने? और वह किस तरह सिर्फ़ गुस्ल से नमाज़ पढ़ सकता है। एक हदीस

पेशे ख़िदमत है- हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ुस्ल के बाद वुज़ू नहीं करते थे और ग़ुस्ल से पहले जो वुज़ू करते थे उसी पर इक्तिफ़ा (बस) फ़रमाते थे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

ऊपर दर्ज की गयी हदीस से यह भी साबित हुआ कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ुस्ल से पहले के वुज़ू पर इक्तिफ़ा (संतुष्टि) फ़रमाते थे, यानी वुज़ू जरूर फ़रमाते थे। लिहाज़ा इस हदीस की रोशनी में तहरीर फ़रमाएँ कि बग़ैर वुज़ू के ग़ुस्ल से नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं? जबकि सर का मसह वुज़ू में फ़र्ज़ है।

जवाबः वुज़ू नाम है तीन आज़ा (मुँह, हाथ और पाँव) के धोने और सर के मसह करने का, और जब आदमी ने ग़ुस्ल कर लिया तो उसके ज़िम्न में (अंतर्गत) वुज़ू भी हो गया, ग़ुस्ल से पहले वुज़ू कर लेना सुन्नत है जैसा कि आपने हदीस शरीफ़ नक़ल की है, लेकिन अगर किसी ने ग़ुस्ल से पहले वुज़ू नहीं किया तो भी ग़ुस्ल हो जाएगा और ग़ुस्ल के ज़िम्न में (अंतर्गत) वुज़ू भी हो जाएगा। मसह के मायने तर हाथ सर पर फेरने के हैं, जब सर पर पानी डालकर मल लिया तो मसह से बढ़कर ग़स्ल (यानी धोना) हो गया।

बहरहाल अवाम का यह तर्ज़े-अमल (कार्यशैली) कि वे ग़ुस्ल के बाद फिर वुज़ू करते हैं बिल्कुल ग़लत है, वुज़ू ग़ुस्ल से पहले करना चाहिए ताकि ग़ुस्ल की सुन्नत अदा हो जाए, ग़ुस्ल के बाद वुज़ू करने का कोई जवाज़ नहीं।

नहाने के बाद वुज़ू ग़ैर-ज़रूरी है

सवालः नहाने के बाद बाज़ आदमियों से सुना है कि वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं रहती, क़ुरआन व हदीस की रोशनी में जवाब दें कि आया नहाने के बाद वुज़ू के न करने का तरीक़ा दुरुस्त है या नहीं?

जवाबः नहाने से वुज़ू भी हो जाता है, बाद में वुज़ू की ज़रूरत नहीं।

जुमा की नमाज़ के लिए ग़ुस्ल के बाद वुज़ू करना

सवालः जुमा की नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करने के बाद वुज़ू करना ज़रूरी होता है या नहीं?

जवाबः नहीं, ग़ुस्ल के बाद जब तक वुज़ू न टूटे दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं।

वुज़ू में नीयत शर्त नहीं

सवालः वुज़ू करने के लिए नीयत करना ज़रूरी है, हमने किताब में पढ़ा है कि मुँह हाथ धोने में वही काम किया जाता है जो वुज़ू करने में करते हैं, अगर वुज़ू की नीयत नहीं की गई तो वुज़ू नहीं होगा बल्कि सिर्फ़ मुँह हाथ धोना हुआ, इसके अलावा वुज़ू में जो फ़राईज़ हैं वही अगर छूट गए तो फिर वुज़ू कैसे हुआ?

जवाबः नीयत करना वुज़ू में फ़र्ज़ नहीं, अगर मुँह-हाथ

पाँव धो लिए जाएँ और सर का मसह कर लिया जाए (कि यही चार चीज़ें वुज़ू में फ़र्ज़ हैं) तो वुज़ू हो जाता है, अलबत्ता वुज़ू का सवाब तब मिलेगा जब वुज़ू की नीयत भी की हो।

बग़ैर वुज़ू किए सिर्फ़ नीयत से वुज़ू नहीं होता

सवालः अक्सर मक़ामात पर मसाजिद में पानी का इन्तिज़ाम नहीं होता और फिर वुज़ू के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है। मैंने सुना है कि अगर कहीं पानी न मिले तो वुज़ू की नीयत करने से वुज़ू हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर वुज़ू हो सकता है तो उसकी नीयत भी ऐसे ही करनी होती है जैसे हम पानी के साथ वुज़ू करते वक़्त करते हैं, या कोई और तरीक़ा है?

जवाबः सिर्फ़ वुज़ू की नीयत करने से वुज़ू नहीं होता, आपने ग़लत सुना है। शरीअ़त का हुक्म यह है कि अगर किसी जगह वुज़ू के लिए पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम किया जाए और पानी न मिलने का मतलब यह है कि पानी कम से कम एक मील दूर हो। इसलिए शहर में पानी के हासिल न होने की कोई वजह नहीं, जंगल में ऐसी सूरत पेश आ सकती है।

वुज़ू के अंगों का तीन बार धोना कामिल सुन्नत है

सवालः हमारे इस्लामियात के उस्ताद ने बताया है कि वुज़ू करते वक़्त हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी

डालना, मुँह धोना वग़ैरह जो कि तीन दफ़ा धोया जाता है, दो दफ़ा भी धोया जा सकता है। क्या यह दुरुस्त है?

जवाबः कामिल सुन्नत तीन-तीन बार धोना है, वुज़ू दो बार धोने बल्कि एक ही बार धोने से भी हो जाएगा बशर्ते कि एक बाल की जगह भी सूखी न रहे।

घनी दाढ़ी को अन्दर से धोना ज़रूरी नहीं सिर्फ़ ख़िलाल काफ़ी है

सवालः क्या वुज़ू करते वक़्त तीन बार मुँह धोने के बाद दाढ़ी को अन्दर से बाहर से तर करने के लिए बार-बार हाथों में पानी लेकर धोना ज़रूरी है?

जवाबः दाढ़ी अगर घनी हो कि अन्दर की जिल्द (खाल) नज़र न आए तो उसको ऊपर से धोना फ़र्ज़ है और उसका ख़िलाल करना सुन्नत है। और अगर हल्की हो तो पूरी दाढ़ी को पानी से तर करना ज़रूरी है।

आबे ज़मज़म से वुज़ू और ग़ुस्ल करना

सवालः मौलाना साहिब! मैं मक्का मुकर्रमा में रहता हूँ कई दिनों से इस मसले पर दिल में उलझन रहती है, बराहे मेहरबानी इसका शरई हल बताएँ आपका शुक्रगुज़ार हूँगा।

मौलाना साहिब! हम पाकिस्तान में थे तो आबे ज़मज़म के लिए इतनी मुहब्बत थी कि कुछ बता नहीं सकते, अब भी वही है, एक-एक क़तरे के लिए तरस्ते थे, यहाँ लोग वुज़ू करते हैं। क्या यह जायज़ है या नहीं? नमाज़ के लिए वुज़ू कर लेना

जायज़ है या अदब के ख़िलाफ़ है? तफ़सील से जवाब लिखें।

जवाबः जो शख़्स वुज़ू से और पाक हो वह अगर महज़ बरकत के लिए आबे ज़मज़म से वुज़ू या ग़ुस्ल करे तो जायज़ है। इसी तरह किसी पाक कपड़े को बरकत के लिए ज़मज़म से भिगोना भी दुरुस्त है, लेकिन बेवुज़ू आदमी का ज़मज़म शरीफ़ से वुज़ू करना या किसी नापाक आदमी का उससे ग़ुस्ल करना मक्रूह है, ज़रूरत के वक़्त (जबकि दूसरा पानी न मिले) ज़मज़म शरीफ़ से वुज़ू करना तो जायज़ है मगर ग़ुस्ले जनाबत (नापाक आदमी का पाकी हासिल करने के लिये नहाना) बहरहाल मक्रूह है।

इसी तरह अगर बदन या कपड़े पर नजासत (गंदगी और नापाकी) लगी हो तो उसको ज़मज़म शरीफ़ से धोना भी मक्रूह बल्कि बाज़ उलेमा के क़ौल पर हराम है। यही हुक्म ज़मज़म से इस्तिन्जा करने का है। नक़ल किया गया है कि बाज़ लोगों ने आबे ज़मज़म से इस्तिन्जा किया तो बवासीर हो गई।

ख़ुलासा यह कि ज़मज़म बहुत ही बरकत वाला पानी है, उसका अदब ज़रूरी है। उसका पीना ख़ैर व बरकत का सबब है, और चेहरे पर, सर पर और बदन पर डालना भी बरकत का सबब है, लेकिन नजासत (नापाकी) दूर करने के लिये उसको इस्तेमाल करना सही और दुरुस्त नहीं।

पहले वुज़ू से नमाज़ पढ़े बग़ैर दोबारा वुज़ू करना गुनाह है

सवालः अगर किसी शख़्स को ग़ुस्ल की हाजत नहीं है,

यानी वह पाक है, वह सिर्फ़ नहाता है, ज़ाहिर है नहाने में उसका जिस्म सर से लेकर पैर तक भीगेगा, इस सूरत में वह शख़्स बग़ैर वुज़ू के नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं? याद रहे कि वह शख़्स सिर्फ़ नहाया है उसने न नहाने से पहले और न नहाने के बाद वुज़ू बनाया है, लेकिन सर से पैर तक पानी ज़रूर बहाया है।

जवाबः गुस्ल करने से वुज़ू हो जाता है, इसलिए गुस्ल के बाद वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं, नमाज़ पढ़ सकता है। बल्कि जब तक इस गुस्ल से कम से कम दो रक्अ़त न पढ़ ली जाएँ या कोई दूसरी इबादत जिसमें वुज़ू शर्त है अदा न कर ली जाये दोबारा वुज़ू करना मक्रूह है।

सवालः अख़बार जंग में आपके कॉलम में एक सवाल के जवाब में कि नहाने से पहले या बाद में वुज़ू न करने के बावजूद नहा लेने से वुज़ू हो जाता है, और उससे नमाज़ पढ़ी जा सकती है बल्कि गुस्ल के बाद अगर दो रक्अ़त नमाज़ न पढ़ी जाए और वुज़ू किया जाए तो गुनाहगार होगा, यह बात समझ में नहीं आती, मेहरबानी फ़रमा कर ज़रा वज़ाहत से समझायें।

जवाबः दो बातें समझ लीजिये- अव्वल यह कि गुस्ल में जब पूरे बदन पर पानी बहा लिया तो वुज़ू हो गया। दूसरे लफ़्ज़ों में गुस्ल के अन्दर वुज़ू ख़ुद-बख़ुद दाख़िल हो जाता है। दूसरी बात यह कि वुज़ू के बाद जब तक उस वुज़ू को इस्तेमाल न कर लिया जाए दोबारा वुज़ू करना मक्रूह है, और वुज़ू को इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि उस वुज़ू से

कम से कम दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ ली जाए या कोई ऐसी इबादत कर ली जाए जिसके लिए वुज़ू शर्त है, मसलन् नमाज़े जनाज़ा, सज्दा-ए-तिलावत वग़ैरह।

सवालः जब हम ग़ुस्ल करते हैं तो हम सिर्फ़ अन्डर-वियर इस्तेमाल करते हैं, मैंने काफ़ी हज़रात से दरियाफ़्त किया कि हम जो पहले वुज़ू करते हैं वह हो जाता है या नहीं, तो हर एक ने यही जवाब दिया कि कपड़े पहनने के बाद दोबारा वुज़ू करना ज़रूरी है वरना नमाज़ नहीं होती।

जवाबः ख़ुदा जाने आपने किससे पूछा होगा, किसी आ़लिम से दरियाफ़्त फ़रमाईये। ग़ुस्ल कर लेने के बाद दोबारा वुज़ू करने का जहाँ तक मुझे मालूम है कोई आ़लिमे दीन क़ायल नहीं, और यह जो मशहूर है कि नंगा होने की वजह से वुज़ू टूट जाता है या कि नंगा होने की हालत में वुज़ू नहीं होता, यह बिल्कुल ग़लत है।

एक वुज़ू से कई इबादतें

सवालः अगर वुज़ू क़ुरआन पाक पढ़ने की नीयत से किया तो उस वुज़ू से नमाज़ जायज़ है या नहीं?

जवाबः वुज़ू चाहे किसी मक़सद के लिए किया हो उससे नमाज़ जायज़ है, और न सिर्फ़ नमाज़ बल्कि उस वुज़ू से वे तमाम इबादतें जायज़ हैं जिनके लिए तहारत (पाकी) शर्त है।

एक वुज़ू से कई नमाज़ें

सवालः मैं अ़सर के वक़्त वुज़ू कर लेती हूँ और उसी वुज़ू

से मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। हमारी पड़ोसन कहती है कि हर नमाज़ के लिए अलग-अलग वुज़ू करना चाहिए। दोनों में से क्या सही है?

जवाबः अगर वुज़ू न टूटे तो एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं हर नमाज़ के लिए वुज़ू ज़रूरी नहीं, कर ले तो अच्छा है।

पाकी के लिए किये गये वुज़ू से नमाज़ पढ़ना

सवालः पाकी के लिए जो वुज़ू किया जाता है क्या उस वुज़ू से नमाज़ भी पढ़ी जा सकती है?

जवाबः वुज़ू चाहे किसी मक़सद के लिए किया हो उससे नमाज़ जायज़ है।

क्या नमाज़े जनाज़ा वाले वुज़ू से दूसरी नमाज़ें पढ़ सकते हैं?

सवालः जो वुज़ू नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के लिए किया गया था उस वुज़ू से नमाज़े पंजगाना (फ़र्ज़ नमाज़ें) पढ़ सकते हैं या नहीं?

जवाबः पढ़ सकते हैं, मगर नमाज़े जनाज़ा के लिए जो तयम्मुम किया जाए उससे दूसरी नमाज़ें नहीं पढ़ सकते।

गुस्ल के दौरान वुज़ू टूट जाना

सवालः गुस्ल करने से पहले वुज़ू किया लेकिन गुस्ल के दौरान अगर वुज़ू टूट जाए और गुस्ल के बाद कोई नमाज़ भी

न पढ़नी हो (किसी नमाज़ का वक़्त क़रीब न हो) तो क्या ग़ुस्ल के बाद वुज़ू दोबारा करना चाहिए?

जवाबः अगर वुज़ू टूटने के बाद ग़ुस्ल किया और उससे वुज़ू के आज़ा (अंग) दोबारा धुल गए उसके बाद वुज़ू तोड़ने वाली कोई चीज़ पेश न आई तो उसका वुज़ू हो गया, नमाज़ भी पढ़ सकता है।

जिस ग़ुस्लख़ाने में पेशाब किया हो उसमें वुज़ू

सवालः हमारे घर में एक ग़ुस्लख़ाना (बाथरूम) है, जहाँ हम सब नहाते हैं और रात को उठकर पेशाब भी करते हैं, और मुझे नमाज़ पढ़नी होती है, क्या उस ग़ुस्लख़ाने में वुज़ू करना जायज़ है?

जवाबः ग़ुस्लख़ाने में पेशाब नहीं करना चाहिए उससे वस्वसा (वहम और ख़्यालात) का मर्ज़ हो जाता है, और अगर उसमें किसी ने पेशाब कर दिया हो तो वुज़ू से पहले उसको धोकर पाक कर लेना चाहिए।

गर्म पानी से वुज़ू करना

सवालः गर्म पानी से वुज़ू करना चाहिए या नहीं?

जवाबः कोई हर्ज नहीं।

सवालः अगर वुज़ू के दौरान कोई हिस्सा ख़ुश्क रह जाए तो दोबारा वुज़ू करना चाहिए या उस हिस्से पर पानी डाल लेना चाहिए?

जवाबः सिर्फ़ उतने हिस्से का धो लेना काफ़ी है, लेकिन

उस ख़ुश्क (सूखे) हिस्से पर पानी का बहाना ज़रूरी है सिर्फ़ गीला हाथ फेर लेना काफ़ी नहीं।

वुज़ू के बचे हुए पानी से वुज़ू जायज़ है

सवालः अगर एक नमाज़ी वुज़ू करता है और जिस बरतन में पानी लेकर वुज़ू किया उस बरतन में कुछ पानी बच जाता है, उस बचे हुए पानी को दूसरा आदमी वुज़ू के लिए इस्तेमाल कर सकता है या नहीं?

जवाबः वुज़ू का बचा हुआ पानी पाक है, दूसरा आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है।

इस्तेमाल किये हुए पानी से वुज़ू

सवालः मुस्तामल (इस्तेमाल किया हुआ) पानी और ग़ैर-मुस्तामल पानी जबकि एक जगह जमा हों कोई और पानी वुज़ू के लिये न मिले और मुस्तामल और ग़ैर-मुस्तामल (बिना इस्तेमाल किया हुआ) बराबर हों, जैसे एक लोटा मुस्तामल (इस्तेमाल किया हुआ) और एक लोटा ग़ैर-मुस्तामल हो, अब फ़रमायें कि इस सूरत में क्या करें? वुज़ू या तयम्मुम?

जवाबः मुस्तामल और ग़ैर-मुस्तामल पानी अगर मिल जाएँ तो ग़ालिब (ज़्यादा) का एतिबार है, और अगर दोनों बराबर हों तो एहतियातन ग़ैर-मुस्तामल को मग़लूब (कम) क़रार दिया जाएगा और उससे वुज़ू सही नहीं।

नोटः मुस्तामल पानी वह कहलाता है जो वुज़ू और ग़ुस्ल करते वक़्त आज़ा (बदन के हिस्सों) से गिरे और जिस बरतन

से वुज़ू या गुस्ल कर रहे हों वुज़ू और गुस्ल के बाद जो पानी बच जाता है वह मुस्तामल पानी नहीं कहलाता।

उज़्र की वजह से खड़े होकर वुज़ू करना

सवालः क्या खड़े होकर वुज़ू किया जा सकता है जबकि बैठकर वुज़ू करने में तकलीफ़ हो?

जवाबः खड़े होकर वुज़ू करने में छींटे पड़ने का एहतिमाल (शुब्हा) है, इसलिए जहाँ तक हो सके वुज़ू बैठकर करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी हो तो खड़े होकर वुज़ू करने में भी कोई हर्ज नहीं।

खड़े होकर बेसन में वुज़ू करना

सवालः आजकल घरों में बेसन लगे हुए हैं और लोग ज़्यादातर बेसन से ही खड़े होकर वुज़ू कर लेते हैं। वुज़ू खड़े होकर करने से नमाज़ हो जाती है या नहीं?

जवाबः वुज़ू तो इस तरह भी हो जाता है (और वुज़ू सही हो तो उससे नमाज़ पढ़ना भी सही है) लेकिन अफ़ज़ल यह है कि क़िब्ला रुख़ बैठकर वुज़ू करे।

कपड़े ख़राब होने का अन्देशा हो तो खड़ा होकर वुज़ू करना

सवालः खड़े होते हुए आदमी वुज़ू कर लें, बैठने से कपड़े ख़राब होने का अन्देशा हो और ज़्यादातर आदमी खड़े होकर वुज़ू करते हैं तो क्या नमाज़ हो जाती है या नहीं? क्योंकि इस

जगह में सिर्फ़ शैंक सिस्टम है और बैठने की जगह नहीं है?

जवाबः अगर बैठने का मौक़ा न हो तो खड़े होकर वुज़ू करने में कोई हर्ज नहीं, छींटों से परहेज़ करना चाहिए।

क़ुरआन मजीद की जिल्द बनाने के लिये वुज़ू

सवालः मैं बुनियादी तौर पर जिल्द-साज़ हूँ। मेरी दुकान पर हर क़िस्म की स्टेश्नरी वग़ैरह की जिल्द बनाने का काम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क़ुरआन करीम की जिल्द-साज़ी है। मेरा काम करने का तरीक़ा यह है कि जिल्द बनाने से पहले सिर्फ़ हाथों को धोकर जिल्द साज़ी करता हूँ लेकिन बहैसियत मुसलमान मेरे दिल व दिमाग़ में यह बात हमेशा खटकती रहती है कि क़ुरआन करीम जैसी अज़ीम रुतबे वाली किताब की जिल्द-साज़ी अगर बावुज़ू की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मगर काम की ज़्यादती की वजह से मेरे लिए यह मुश्किल है।

उस मौक़े पर यह सोचता हूँ कि जहाँ क़ुरआने करीम की किताबत (लिखाई), तबाअ़त (छपाई) और दूसरे मराहिल तय पाते हैं तो क्या सारे अफ़राद बावुज़ू होकर इस काम को अन्जाम देते हैं? इस सिलसिले में कई लोगों से मश्विरा किया तो उन्होंने कहा कि मियाँ! आप सिर्फ़ नमाज़ पढ़ा करें यह कोई अहम मसला नहीं और न ही फ़र्ज़। बराहे करम मेरी उलझन दूर फ़रमायें।

जवाबः क़ुरआन करीम के पन्नों को बग़ैर वुज़ू के हाथ लगाना जायज़ नहीं। आप "कई लोगों से मश्विरा" न करें,

क़ुरआन करीम की जिल्द-साज़ी के लिए वुज़ू का एहतिमाम करें। अगर माज़ूर हैं तो मजबूरी है, लेकिन इसको हल्की और मामूली बात न समझा जाए।

वुज़ू करने के बाद हाथ-मुँह पौंछना

सवालः वुज़ू करने के बाद हाथ-मुँह पौंछने से सवाब में कोई कमी बेशी तो नहीं हो जाती?

जवाबः नहीं।

वुज़ू से पहले और खाने के बाद मिस्वाक करना

सवालः मिस्वाक करके अ़सर का वुज़ू किया, फिर मग़रिब की नमाज़ के लिए वुज़ू करने से पहले दोबारा मिस्वाक करना ज़रूरी है? हालाँकि अ़सर और मग़रिब के बीच न कुछ खाया और न पिया हो?

जवाबः वुज़ू करते वक़्त मिस्वाक करना सुन्नत है, चाहे वुज़ू पर वुज़ू किया जाए और खाने के बाद मिस्वाक करना अलग सुन्नत है।

मिस्वाक करना औ़रतों के लिये भी सुन्नत है

सवालः क्या नमाज़ से पहले वुज़ू में मिस्वाक करना औ़रतों के लिए भी इसी तरह सुन्नत है जैसे मर्दों के लिए?

जवाबः मिस्वाक औ़रतों के लिए भी सुन्नत है, लेकिन अगर उनके मसूढ़े मिस्वाक की सहार न कर सकें तो उनके लिए दंदासे का इस्तेमाल भी मिस्वाक के बराबर है, जबकि मिस्वाक की नीयत से उसका इस्तेमाल करें।

वुज़ू के बाद ऐन नमाज़ से पहले मिस्वाक करना कैसा है?

सवालः मैं अपनी फूफी के यहाँ रियाज़ गया था, वहाँ मैंने मस्जिद में देखा लोग सफ़ों में बैठे मिस्वाक कर रहे हैं, जब मुकब्बिर ने तकबीर कहनी शुरू की तो उन्होंने पहले मिस्वाक की और खड़े होकर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। जब नमाज़ ख़त्म हुई तो मैंने दरियाफ़्त किया कि क्या इस तरह मिस्वाक करना जायज़ है? तो इमाम साहिब ने फ़रमाया यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की है कि नमाज़ शुरू करने से पहले और वुज़ू करने से पहले मिस्वाक कर लिया करो। मेरे ख़्याल में नमाज़ से पहले मिस्वाक करने का मतलब यह है कि जो लोग अ़सर से मग़रिब तक बावुज़ू रहते हैं और दरमियान में कुछ खाते पीते रहते हैं तो उनके लिए हुक्म यह है कि नमाज़ से पहले मिस्वाक करके कुल्ली वग़ैरह कर लें।

जवाबः उन इमाम साहिब ने जिस हदीसे पाक का हवाला दिया है वह यह हैः

لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواك عند كل صلوٰة.

यानी अगर यह अन्देशा न होता कि मैं अपनी उम्मत को मशक़्क़त में डाल दूँगा तो उनको हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक का हुक्म करता।

इस हदीस के रावियों (बयान करने वालों) का अलफ़ाज़ के नक़ल करने में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है। बाज़ हज़रात "हर

नमाज़ के वक़्त" के अलफ़ाज़ से नक़ल करते हैं और बाज़ इसके बजाय "हर वुज़ू के वक़्त" नक़ल करते हैं। (बुख़ारी शरीफ़ 12-259) यानी हर वुज़ू के वक़्त मिस्वाक का हुक्म करता।

इन दोनों अलफ़ाज़ के पेशे नज़र हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह0 के नज़दीक हदीस का मतलब यह निकलता है कि हर नमाज़ से पहले वुज़ू करने और हर वुज़ू की शुरूआत मिस्वाक से करने की तरग़ीब दी गई है, और हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक का हुक्म देने से मक़सूद यह है कि हर नमाज़ के वुज़ू से पहले मिस्वाक की जाए, ऐन नमाज़ के लिए खड़े होने के वक़्त मिस्वाक की तरग़ीब मक़सूद नहीं। अगर आदमी नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त मिस्वाक करे तो अन्देशा है कि दाँतों से ख़ून निकल आए जिससे वुज़ू टूट जायेगा, और जब वुज़ू न रहा तो नमाज़ भी न होगी, इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह0 फ़रमाते हैं कि हर नमाज़ के वुज़ू से पहले मिस्वाक करना सुन्नत है, ऐन नमाज़ के वक़्त मिस्वाक नहीं की जाती।

इसके अलावा मिस्वाक मुँह की सुथराई और सफ़ाई के लिए की जाती है, और यह मक़सूद उसी वक़्त हासिल हो सकता है जबकि वुज़ू करते हुए मिस्वाक की जाए और पानी से कुल्ली करके मुँह को अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए। नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त बग़ैर पानी और कुल्ली के मिस्वाक करने से मुँह की सफ़ाई और पाकीज़गी हासिल नहीं होती, जो मिस्वाक से मक़सूद है।

सऊदी हज़रात चूँकि इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद (पैरवी करने वाले) हैं और उनके नज़दीक ख़ून निकल आने से वुज़ू नहीं टूटता, इसलिए नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त मिस्वाक करते हैं, और हदीस शरीफ़ का यही मंशा समझते हैं।

क्या टूथब्रश मिस्वाक की सुन्नत का बदल है

सवालः क्या ब्रश और टूथपेस्ट के इस्तेमाल से मिस्वाक का सवाब मिल जाता है? जबकि ब्रश से दाँत अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं, या फिर मख़्सूस मिस्वाक ही सुन्नते नबवी की बरकत से फ़ैज़ हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाए?

जवाबः बेहतर तो यही है कि सुन्नत अदा करने के लिए मिस्वाक का इस्तेमाल किया जाए, ब्रश इस्तेमाल करने से बाज़े आ़लिमों के नज़दीक मिस्वाक की सुन्नत अदा हो जाती है, बाज़ के नज़दीक नहीं होती।

विग का इस्तेमाल और वुज़ू

सवालः अगर एक शख़्स मजबूरी की वजह से सर पर "विग" का इस्तेमाल करता है तो वह शख़्स वुज़ू के दौरान सर का मसह विग ही पर कर सकता है या कि उसको मसह विग उतार कर करना चाहिए?

जवाबः नक़ली बालों का इस्तेमाल जायज़ नहीं, न उनके इस्तेमाल में कोई मजबूरी है, मसह उनको उतार कर करना चाहिए। अगर उन पर मसह किया तो वुज़ू नहीं होगा।

रात को सोते वक़्त वुज़ू करना बेहतर है

सवालः क्या रात को सोते वक़्त वुज़ू करना अफ़ज़ल है?
जवाबः जी हाँ! अफ़ज़ल (बेहतर और अच्छा) है।

जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है

ज़ख़्म से ख़ून निकलने पर वुज़ू की तफ़सील

सवालः मेरे हाथ पर ज़ख़्म हो गया है और अक्सर ख़ून का क़तरा टपकता रहता है, और बहुत सी बार हालते नमाज़ में भी ख़ून गिरने का अन्देशा होता है। क्या उसको तर किये बग़ैर मसह की सूरत में नमाज़ पढ़ लिया करूँ या जब क़तरा टपके तो वुज़ू ताज़ा कर लिया करूँ? तहक़ीक़ी जवाब देकर आभारी फ़रमाएँ।

जवाबः यहाँ दो मसले हैं- एक यह कि अगर ज़ख़्म को पानी नुक़सान देता है तो आप ज़ख़्म की जगह को धोने के बजाय उस पर मसह कर सकते हैं। दूसरा मसला यह है कि अगर उसमें से ख़ून हर वक़्त रिस्ता रहता है और किसी वक़्त भी नहीं रुकता तो आपको हर नमाज़ के पूरे वक़्त के अन्दर एक बार वुज़ू कर लेना काफ़ी है। और अगर कभी रिस्ता है और कभी नहीं तो जब भी ख़ून निकल कर बह जाए आपको दोबारा वुज़ू करना होगा।

दाँत से ख़ून निकलने पर कब वुज़ू टूटेगा

सवालः अगर दाँत में से ख़ून निकलता हो और वुज़ू भी हो तो क्या वुज़ू टूट जाएगा?

जवाबः अगर उससे ख़ून का ज़ायक़ा आने लगे या थूक का रंग सुर्ख़ी माईल (लाल) हो जाए तो वुज़ू टूट जाएगा वरना नहीं।

दाँत से ख़ून निकलने से वुज़ू टूट जाता है

सवालः कुल्ली करते वक़्त मुँह में से ख़ून निकल जाता है, बस दाँत में से निकल जाता है और मैं फ़ौरन थूक देता हूँ। तो आपसे यह मालूम करना है कि मुँह में ख़ून आने की वजह से वुज़ू टूट जाता है या नहीं? क्या दोबारा वुज़ू करना चाहिए?

जवाबः ख़ून निकलने से वुज़ू टूट जाता है बशर्ते कि इतना ख़ून निकला हो कि थूक का रंग सुर्ख़ी माईल हो जाए या मुँह में ख़ून का ज़ायक़ा आने लगे।

हवा ख़ारिज होने पर सिर्फ़ वुज़ू करे इस्तिन्जा नहीं

सवालः मेरा मसला यह है कि अगर एक आदमी नहा कर नमाज़ पढ़ने के लिए जाए और बेख़्याली में उसको सिर्फ़ हवा ख़ारिज हो जाए तो क्या ऐसे आदमी के लिए इस्तिन्जा करना लाज़िमी है, या सिर्फ़ वुज़ू करे?

जवाबः सिर्फ़ वुज़ू कर लेना काफ़ी है, पेशाब पाख़ाने के

बग़ैर इस्तिन्जा करना बिद्अ़त है।

नकसीर से वुज़ू टूट जाता है

सवालः नमाज़ पढ़ते हुए नकसीर अगर निकल आए तो क्या नमाज़ छोड़ने की इजाज़त होती है?

जवाबः नकसीर से वुज़ू टूट जाता है इसलिए वुज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़े।

दुखती आँख से नजिस पानी निकलने से वुज़ू टूट जाता है

सवालः वह पानी जो आँख में से दर्द से निकले उसका क्या हुक्म है पाक या नापाक?

जवाबः दुखती हुई आँख से जो पानी निकलता है उससे वुज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता अगर आँख में कोई फुन्सी वग़ैरह हो और उससे पानी निकलता हो तो उससे वुज़ू टूट जाता है, इसलिए कि यह नजिस है।

जिन चीज़ों से वुज़ू नहीं टूटता

लेटने से टेक लगाने से वुज़ू का हुक्म

सवालः सोने से तो वुज़ू टूट जाता है, क्या लेटने से या टेक लगाकर बैठने से भी वुज़ू टूट जाता है?

जवाबः अगर लेटने और टेक लगाकर बैठने से नींद नहीं

आई तो वुज़ू क़ायम है।

बोसा लेने से वुज़ू टूटता है या नहीं

सवालः (हदीस की किताब) मुवत्ता इमाम मालिक में पढ़ा कि बीवी का बोसा लेने से वुज़ू टूट जाता है, क्या यह हनफ़ी मस्लक में भी है कि बीवी का बोसा लेने से वुज़ू टूट जाएगा या बीवी ख़ाविन्द (शौहर) का बोसा ले तो उसका वुज़ू टूट जाएगा? इसकी शरई हैसियत क्या है?

जवाबः हनफ़िया के नज़दीक बीवी का बोसा लेने से वुज़ू नहीं टूटता, हाँ अगर मज़ी (पेशाब की जगह से निकलने वाला एक लेसदार पानी) ख़ारिज हो जाए। हदीस़ को इस्तेहबाब (यानी मुस्तहब यह है कि वुज़ू कर लिया जाये) पर महमूल कर सकते हैं।

कपड़े बदलने और अपना सरापा देखने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः अक्सर बड़ी उम्र की औ़रतें यह कहती हैं कि अगर घर के कपड़े पहने हुए वुज़ू कर लिया और फिर क़ुरआन-ख़्वानी में जाना है या नमाज़ पढ़नी है तो हम वुज़ू करने के बाद दूसरे कपड़े बदलते वक़्त अपने सरापे (वजूद और जिस्म) को न देखें, अपना सरापा देखने से वुज़ू टूटता है। आप इस सिलसिले में वज़ाहत फ़रमाएँ।

जवाबः औ़रतों का यह मसला सही नहीं, कपड़े बदलने से वुज़ू नहीं टूटता, और न अपना सरापा (सतर) देखने से वुज़ू

टूटता है।

नंगे बच्चे को देखने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः किसी बच्चे को नंगा देखने से वुज़ू टूटता है या नहीं?

जवाबः नहीं।

नंगी तस्वीर देखने का वुज़ू पर असर

सवालः क्या किसी की नंगी तस्वीर देखने से वुज़ू बातिल हो जाता है?

जवाबः नंगी तस्वीर देखना गुनाह है, उससे वुज़ू टूटता तो नहीं लेकिन दोबारा कर लेना बेहतर है।

पाजामा घुटने से ऊपर करना गुनाह है लेकिन वुज़ू नहीं टूटता

सवालः हमने आम तौर पर लोगों से सुना है कि जब पाजामा घुटने से ऊपर हो जाए तो वुज़ू टूट जाता है, क्या यह सही है?

जवाबः किसी के सामने पाजामा घुटनों से ऊपर करना गुनाह है, मगर उससे वुज़ू नहीं टूटता।

बदन के किसी हिस्से के नंगा होने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः मैंने सुना है कि जब पाँव पिंडली तक नंगा

(बेलिबास) हो जाए तो वुज़ू टूट जाता है जबकि हम बाज़ दफ़ा ग़ुस्ल के बाद या वैसे ही कपड़े बदलते हैं तो ज़ाहिर है कि पिंडली खुल जाती है, क्या उस हालत में भी वुज़ू टूट जाता है?

जवाबः बदन के किसी हिस्से के खुल जाने से वुज़ू नहीं टूटता।

नंगा होने या मख़्सूस जगह हाथ लगाने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः ग़ुस्लख़ाने में नंगा हो गया, मुकम्मल वुज़ू किया उसके बाद ग़ुस्ल किया, साबुन वग़ैरह तमाम जिस्म पर लगाया, हाथ भी जगह-जगह (मख़्सूस जगह भी) लगाया, उसके बाद कपड़े तब्दील करके बाहर आ गया। क्या नमाज़ अदा कर सकता हूँ या कपड़े बदल कर वुज़ू करूँ फिर नमाज़ अदा करूँ?

जवाबः वुज़ू हो गया दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नंगा होने या अपने बदन के हिस्सों को हाथ लगाने से वुज़ू नहीं टूटता।

जूते पहनने से दोबारा वुज़ू लाज़िम नहीं

सवालः अक्सर नमाज़ी जब नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ारिग़ होते हैं तो जूते पहनकर घर चले जाते हैं, अभी उनका वुज़ू बाक़ी होता है कि दूसरी नमाज़ के लिए आ जाते हैं और बग़ैर वुज़ू के नमाज़ पढ़ते हैं। मसला यह है कि जब वे अपने पाँव

जूते में डालते हैं तो जूते पलीद (नापाक) और गंदी जगहों पर पड़ते हैं, क्या यह ज़रूरी नहीं होता कि फिर नमाज़ के लिए वुज़ू किया करें?

जवाबः जूतों के अन्दर नजासत (नापाकी) नहीं होती, इसलिए वुज़ू के बाद जूते पहनने से दोबारा वुज़ू लाज़िम नहीं होता।

शर्मगाह को हाथ लगाने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः हदीस पाक नज़रों से गुज़री कि ज़कर (मर्द के लिंग) को छूने से वुज़ू टूट जाता है, यानी नमाज़ में हाथ या वैसे क़ुरआन मजीद की तिलावत करते वक़्त छू ले। इस बारे में ज़रूर आगाह करें। (मुवत्ता इमाम मालिक रह0)

जवाबः शर्मगाह (मर्द की पेशाब की जगह) को हाथ लगाने से वुज़ू नहीं टूटता, हदीस में वुज़ू का हुक्म या तो इस्तेहबाब के तौर पर है या लुग़वी वुज़ू यानी हाथ धोने पर महमूल है।

खाना खाने या नंगा होने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः अगर कोई शख़्स वुज़ू करके खाना खाए तो क्या वुज़ू टूट जाएगा? वुज़ू के दौरान अगर कोई शख़्स नंगा होकर कपड़े तब्दील करे तो क्या वुज़ू टूट जाएगा?

जवाबः दोनों सूरतों में वुज़ू नहीं टूटता।

आग पर पकी हुई या गर्म चीज़ खाने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः मैं नमाज़ बाक़ायदगी के साथ अदा करती हूँ और

मेरा सबसे बड़ा मसला यह है कि मैं चाय बहुत इस्तेमाल करती हूँ लोग कहते हैं कि गर्म चीज़ खाने जैसे चाय खाना या ऐसी चीज़ें जो आग पर पकी हों, से वुज़ू टूट जाता है और दोबारा वुज़ू किया जाए।

जवाबः आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू नहीं टूटता।

वुज़ू की हालत में हुक़्क़ा, बीड़ी, सिगरेट, पान इस्तेमाल करके नमाज़ पढ़ना

सवालः हम देखते हैं कि हमारे बहुत से बुज़ुर्ग ऐसा करते हैं कि नमाज़ के लिए वुज़ू किया, नमाज़ अदा की, उसके बाद सिगरेट, बीड़ी, हुक़्क़ा पीते हैं। जब दूसरी नमाज़ का वक़्त आ जाता है तो सिर्फ़ दो तीन बार कुल्ली की और नमाज़ पढ़ लेते हैं और तस्बीह व वज़ाईफ़ भी करते हैं। अब जबकि रमज़ान शरीफ़ खुदा के फ़ज़्ल व करम से शुरू हो चुका है, इसमें भी अक्सर देखते हैं कि एक शख़्स तमाम दिन रोज़ा रखता है, रोज़ा इफ़तार करने से पहले वुज़ू करता है, रोज़ा इफ़तार करता है और उसके बाद बीड़ी, सिगरेट या हुक़्क़ा पीता है, फिर कुल्ली करने के बाद नमाज़े मग़रिब में जमाअ़त में शामिल हो जाता है, इससे वुज़ू तो ख़राब नहीं होता? वज़ाईफ़ में ख़लल तो नहीं आता? बराहे मेहरबानी इस अहम मसले से आगाह फ़रमाएँ ?

जवाबः हुक़्क़ा, बीड़ी, सिगरेट पान से वुज़ू तो नहीं टूटता लेकिन नमाज़ से पहले मुँह की बदबू दूर करना ज़रूरी है,

अगर मुँह से हुक़्क़ा सिगरेट की बू आती हो तो नमाज़ मक्रूह हो जाती है।

सिगरेट पीने और टेलीवीज़न रेडियो देखने सुनने का वुज़ू पर असर

सवालः सिगरेट पीने, टेलीवीज़न देखने और रेडियो पर संगीत सुनने से क्या वुज़ू टूट जाता है?

जवाबः सिगरेट पीने से वुज़ू नहीं टूटता लेकिन मुँह की बदबू का पूरी तरह दूर करना ज़रूरी है, और गुनाहों के कामों से वुज़ू नहीं टूटता लेकिन मक्रूह ज़रूर हो जाता है। इसलिए दोबारा वुज़ू कर लेना मुस्तहब है।

आईना या टीवी देखने का वुज़ू पर असर

सवालः क्या आईना देखने या टीवी देखने से वुज़ू टूट जाता है?

जवाबः आईना देखने से तो वुज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता टीवी देखना गुनाह है और गुनाह के बाद दोबारा वुज़ू कर लेना मुस्तहब है।

गुड़िया देखने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः क्या गुड़िया देखने से वुज़ू टूट जाता है? मैंने सुना है कि वुज़ू से गुड़िया पर नज़र पड़ जाए तो वुज़ू टूट जाता है क्या यह सही है?

जवाबः गुड़िया देखने से वुज़ू नहीं टूटता।

नाख़ुनों में मैल होने पर भी वुज़ू हो जाता है

सवालः काम करने के दौरान नाख़ुनों में मैल चला जाता है, अगर हम मैल साफ़ किए बग़ैर वुज़ू करें तो वह होगा या नहीं?

जवाबः वुज़ू हो जाएगा मगर नाख़ुन बढ़ाना ख़िलाफ़े फ़ितरत है।

कान का मैल निकालने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः बा-वुज़ू आदमी कान की खुजली की वजह से उंगली से खुजली करे और कान का मोम उंगली पर लगे और उंगली को अपनी क़मीज़ से साफ़ करे तो इस सूरत में वुज़ू टूट जाएगा या नहीं? और क़मीज़ पर मोम लगने से वह क़मीज़ पाक रहेगी या नहीं?

जवाबः कान के मैल से वुज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता कान बहते हों और कान में उंगली डालने से उंगली को पानी लग जाए तो वुज़ू टूट जाएगा, और वह पानी भी नजिस (नापाक) है।

बाल बनवाने नाख़ुन कटवाने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः बा-वुज़ू (यानी जिसका वुज़ू हो) शख़्स अगर बाल बनवाए या दाढ़ी का ख़त बनवाए या नाख़ुन कटवाये तो क्या उसे दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा? मेरा मतलब है बाल बनवाने,

ख़त बनवाने, या नाख़ुन तरश्वाने से क्या वुज़ू टूट जाता है?

जवाबः बाल बनवाने या नाख़ुन उतारने से वुज़ू नहीं टूटता, इसलिए दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं।

सर या दाढ़ी पर मेहंदी हो तो वुज़ू का हुक्म

सवालः कोई शख़्स सर या दाढ़ी पर मेहंदी का इस्तेमाल करता है, मेहंदी सूख जाने के बाद उसको धोकर उतारने से पहले क्या सिर्फ़ वुज़ू करके नमाज़ अदा कर सकता है या पहले मेहंदी को भी धोकर साफ़ कर ले?

जवाबः वुज़ू सही होने के लिए मेहंदी का उतारना ज़रूरी है।

बच्चे को दूध पिलाने से वुज़ू नहीं टूटता

सवालः अगर वुज़ू हो और बच्चे को दूध पिलाया जाए तो क्या वुज़ू टूट जाएगा?

जवाबः नहीं।

दाँत में चाँदी भरी होने पर गुस्ल और वुज़ू

सवालः एक शख़्स ने अपनी दाढ़ चाँदी से भरवाई है, क्या इस तरह उसका गुस्ल और वुज़ू हो जाता है जबकि पानी अन्दर तक नहीं जाता?

जवाबः गुस्ल और वुज़ू हो जाता है।

नक़ली दाँत के साथ वुज़ू

सवालः नक़ली (बनवाये हुए) दाँत लगाकर वुज़ू हो जाता है या उनका निकालना ज़रूरी है?

जवाबः निकालने की ज़रूरत नहीं उनके साथ वुज़ू दुरुस्त और ठीक है।

वुज़ू के वक़्त औरत के सर का नंगा रहना

सवालः क्या वुज़ू करते वक़्त औरत का सर पर दुपट्टा ओढ़ना ज़रूरी है?

जवाबः औरत को जहाँ तक हो सके सर नंगा नहीं करना चाहिए मगर वुज़ू हो जाएगा।

सुर्ख़ी, पाउडर, क्रीम लगाकर वुज़ू करना

सवालः औरत के लिए नाखुन-पालिश लगाना गुनाह है कि यह लगाने से वुज़ू नहीं होता, और वुज़ू नहीं तो नमाज़ भी नहीं, मगर आजकल राईज क्रीम, पाउडर या सुर्ख़ी लगाना कैसा है? क्योंकि उससे नाखुन-पालिश की तरह कोई क़बाहत (बुराई) नहीं कि वुज़ू का पानी अन्दर न जाए।

जवाबः उनमें अगर कोई नापाक चीज़ मिली हुई न हो तो कोई हर्ज नहीं, मगर नाखुन-पालिश की तरह सुर्ख़ी की तह जम जाती है इसलिए वुज़ू और गुस्ल के लिए उसको उतारना ज़रूरी है।

सेंट और वुज़ू

सवालः गुस्ल करने के बाद या वुज़ू करने के बाद नाखुन काटने, शेव बनाने और सेंट लगाने से वुज़ू तो नहीं टूटता? और नमाज़ हो जाती है या नहीं? सुना है कि सेंट लगाने से वुज़ू टूट जाता है और नमाज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें स्पिरिट

होती है, और अगर सेंट लगा भी लिया जाए तो क्या वुज़ू कर लेना ही काफ़ी है या कपड़े भी दूसरे पहने जाएँ और ग़ुस्ल किया जाए? क्योंकि सेंट की ख़ुशबू सारे बदन और कपड़ों में बस जाती है।

जवाबः वुज़ू करने के बाद बाल काटने या नाख़ुन तराशने से वुज़ू नहीं टूटता, इसी तरह सेंट लगाने से भी वुज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता सेंट में कोई नापाक चीज़ होती है या नहीं इसकी मुझे कोई तहक़ीक़ नहीं, मैंने बाज़ मोतबर लोगों से सुना है कि उसमें कोई नापाक चीज़ नहीं होती, अगर यह सही है तो सेंट लगाना जायज़ है।

वुज़ू के दरमियान सलाम का जवाब देना

सवालः वुज़ू करते हुए और खाने के दौरान सलाम का जवाब देना ज़रूरी है या नहीं? जबकि सलाम करने वाले को मसला मालूम न हो तो वुज़ू में मसरूफ़ होने की वजह से नाराज़ी और ग़लत-फ़हमी हो सकती है।

जवाबः वुज़ू के दौरान सलाम और जवाब में कोई हर्ज नहीं, खाने के दौरान सलाम नहीं कहना चाहिए और खाने वाले के ज़िम्मे सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं।

वुज़ू करने के बाद मुँह-हाथ साफ़ करना

सवालः क्या वुज़ू करने के बाद मुँह-हाथ वग़ैरह पौंछ लेने से वुज़ू बाक़ी रहता है या नहीं?

जवाबः वुज़ू के बाद तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ है, इससे वुज़ू नहीं टूटता।

पानी के अहकाम

समुन्दर का पानी नापाक नहीं होता

सवालः क्या समुन्दर के पानी से वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है? चूँकि समुन्दर में हर जानवर पानी पीता है, तो वह नापाक हो जाता है या नहीं?

जवाबः समुन्दर का पानी पाक है, जानवरों के पीने या किसी और चीज़ से वह नापाक नहीं होता।

कुएँ के जरासीम से दूषित पानी का हुक्म

सवालः हमारे मौहल्ले की मस्जिद में कुआँ खोदा गया, यह कुआँ चालीस फ़िट नीचे खोदा गया है। इस कुएँ का पानी हमने लेब वालों को भेजा था ताकि मालूम हो जाए कि आया पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, वे कहते हैं कि पानी में जरासीम (कीटाणु) वग़ैरह हैं, जबकि पानी का न तो रंग बदला है और न ही किसी क़िस्म की बू वग़ैरह है। आया हम इस पानी से वुज़ू कर सकते हैं या नहीं? और पी भी सकते हैं या नहीं?

जवाबः इस पानी के साथ वुज़ू या गुस्ल करना कपड़े धोना वग़ैरह बिल्कुल दुरुस्त है, शरअ़न उसके पीने में भी कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता अगर सेहत के लिए मुज़िर (नुक़सानदेह) हो तो न पिया जाए।

कुएँ में पेशाब गिरने से कुआँ नापाक हो जाता है

सवालः अगर लड़की या लड़के का पेशाब कुएँ में गिर जाए तो इस्लामी फ़िक़्ह की रू से क्या हुक्म है?

जवाबः कुआँ नापाक हो जाएगा और उसको पाक करने का तरीक़ा यह है कि उसका पूरा पानी निकाल दिया जाए। पानी निकाल देने से डोल, रस्सी, कुएँ का गारा और कुएँ की दीवारें सब पाक हो जाएँगे।

गटर लाईन की मिलावट और बदबू वाले पानी का इस्तेमाल

सवालः बाज़ मर्तबा हम किसी मस्जिद में जाते हैं और वुज़ू के लिये नलका खोलते हैं तो शुरू में बदबूदार पानी आता है, पानी बज़ाहिर साफ़ नज़र आता है और कोई रंग की मिलावट नहीं होती, लेकिन पानी में बदबू-सी महसूस होती है। ऐसी सूरत में क्या इस पानी से वुज़ू किया जा सकता है? या यह पानी नापाक होगा और इस पानी से वुज़ू नहीं होगा?

जवाबः नलों के ज़रिये जो बदबूदार पानी आता है और फिर साफ़ आने लगता है, इस बारे में जब तक बदबूदार पानी की हक़ीक़त मालूम न हो या रंग और बू से नापाकी का पता न चलता हो, उस वक़्त तक उसके नापाक होने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पानी का बदबूदार होना और चीज़ है

और नापाक होना दूसरी चीज़ है, और अगर तहक़ीक़ हो जाए कि यह पानी गटर का है तो नल खोल देने बाद वह "जारी पानी" के हुक्म में हो जाएगा और पाक हो जाएगा। बस बदबूदार पानी निकाल दिया जाए बाद में आने वाले साफ़ पानी से वुज़ू और ग़ुस्ल सही है।

नापाक गन्दा पानी साफ़ सुथरा बना देने से पाक नहीं होता

सवालः आजकल साईन्सदानों (वैज्ञानिकों) ने ऐसा आला (यन्त्र) ईजाद किया है कि गन्दी नालियों के पानी को साफ़ व शफ़्फ़ाफ़ बना देते हैं। बज़ाहिर उसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। अब क्या यह पानी पलीद (नापाक) होगा या नहीं?

जवाबः साफ़ हो जाएगा पाक नहीं होगा, साफ़ और पाक में बड़ा फ़र्क़ है।

नापाक छींटों वाले लोटे को पाक करना

सवालः अगर लोटे में पानी रखा हुआ हो और उस पर किसी ने छींटे मार दिए हों तो पाक करने के लिए अगर तीन मर्तबा लोटे की टोंटी से पानी गिरा दिया जाए तो पानी पाक हो जाएगा या पानी फेंक दिया जाए?

जवाबः सिर्फ़ छींटे पड़ने से तो पानी नापाक नहीं होता, अलबत्ता अगर छींटे नापाक हों तो पानी नापाक हो जाएगा और उसके पाक करने का तरीक़ा यह है कि उसके ऊपर से और पानी डाल दिया जाए यहाँ तक कि टोंटी और किनारों से

पानी बह निकले, बस पाक हो जाएगा।

बारिश के पानी के छींटे

सवालः बारिश का वह पानी जो सड़कों पर जमा हो जाता है, क्या यह नजासते ग़लीज़ा है या ख़फ़ीफ़ा? अगर नमाज़ी के कपड़ों पर लग जाए तो कितनी मिक़दार (मात्रा) के मौजूद होते हुए नमाज़ी नमाज़ पढ़ सकता है?

जवाबः बारिश का पानी जो सड़कों पर होता है उसके छींटे पड़ जाएँ तो उनको धो लेना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के वक़्त उन कपड़ों में नमाज़ पढ़ने को जायज़ लिखा है।

टंकी में परिन्दा गिरकर फूल जाए तो कितने दिन की नमाज़ें लौटाई जाएँ

सवालः पानी की टंकी में अगर परिन्दा गिरकर मर जाए और फूल जाए या फट जाए और उसके गिरने का वक़्त भी मालूम न हो तो कितने दिन की नमाज़ें लौटाई जाएँगी?

जवाबः इसमें दो क़ौल हैं- एक यह कि अगर जानवर फूला फटा हुआ पाया जाए तो उसको तीन दिन का समझ जाएगा और तीन दिन की नमाज़ें लौटाई जाएँगी। दूसरा क़ौल यह है कि जिस वक़्त इल्म हुआ उसी वक़्त से नजासत का हुक्म किया जाएगा, पहले क़ौल में एहतियात है और दूसरे में आसानी है।

नापाक कुएँ का पानी इस्तेमाल करना

सवालः एक कुएँ में काफ़ी वक़्त पहले ख़िन्ज़ीर (सुअर) गिरकर मर गया, किसी ने भी पानी और ख़िन्ज़ीर नहीं निकाला, लेकिन अब कुछ मज़दूर कच्ची ईंटें बनाते हैं और क़रीब होने की वजह से उस कुएँ का पानी इस्तेमाल करते हैं। क्या यह मिट्टी पाक होगी या नहीं? और इस पानी की वजह से जो जिस्म और कपड़ों पर छींटे लग जाते हैं क्या बग़ैर धोए और नहाए नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं?

जवाबः यह कुआँ जब तक पाक नहीं किया जाता उसका पानी नापाक है, उससे जो कच्ची ईंटें बनाई जाती हैं वे भी नापाक हैं। उसके छींटे धोए बग़ैर नमाज़ दुरुस्त नहीं। उसे पाक करने का तरीक़ा यह है कि कुएँ से ख़िन्ज़ीर की हड्डियाँ वग़ैरह निकाल दी जाएँ उसके बाद कुएँ का सारा पानी निकाल दिया जाए। अगर सारा पानी निकालना मुश्किल है तो दो सौ डोल से तीन सौ डोल तक पानी निकाल देने से कुआँ पाक हो जाएगा।

गुस्ल के मसाईल

गुस्ल का तरीक़ा

सवालः मौलाना साहिब मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे मज़हब में गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है? यह एक मसला है जिससे हर मुसलमान औरत का वाक़िफ़ होना ज़रूरी है, लेकिन अफ़सोस है कि बहुत ही कम मुसलमान ऐसे हैं जो इसकी अहमियत और सही तरीक़े से वाक़िफ़ हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने कॉलम में इस मसले पर रोशनी डालें। जवाब देते वक़्त इन बातों की भी वज़ाहत कर दें- क्या गुस्ल करते वक़्त पहले वुज़ू करना ज़रूरी है? दूसरे यह कि गुस्ल करते वक़्त क्या नाफ़ के नीचे कपड़ा बाँधना भी ज़रूरी है? और तीसरे यह कि गुस्ल करते वक़्त कौनसी दुआएँ पढ़ते हैं? क्या पाँचों कलिमे पढ़ना ज़रूरी हैं या सिर्फ़ दुरूद शरीफ़ पढ़कर मक़सद पूरा हो जाता है और गुस्ल लेने का सही तरीक़ा इस्लाम में क्या है?

जवाबः गुस्ल का तरीक़ा यह है कि पहले हाथ धोये और इस्तिन्जा करे, फिर बदन पर किसी जगह नजासत (नापाकी और गंदगी) लगी हो तो उसे धो डाले, फिर वुज़ू करे, फिर तमाम बदन को थोड़ा सा पानी डालकर मले, फिर सारे बदन पर तीन मर्तबा पानी बहाए।

गुस्ल में तीन चीज़ें फ़र्ज़ हैं-

(1) कुल्ली करना।

(2) नाक में पानी डालना।

(3) पूरे बदन पर पानी बहाना। बदन का अगर एक बाल भी ख़ुश्क रह जाए तो ग़ुस्ल नहीं होगा और आदमी बदस्तूर नापाक रहेगा। नाक कान के सुराख़ों में पानी पहुँचाना भी फ़र्ज़ है। अंगूठी छल्ला अगर तंग हो तो उसको हिलाकर उसके नीचे पानी पहुँचाना भी लाज़िम है, वरना ग़ुस्ल न होगा। बाज़ बहनें नाखुन-पालिश वग़ैरह ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जो बदन तक पानी पहुंचने नहीं देतीं, ग़ुस्ल में उन चीज़ों को उतारकर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। कई बार बेख़्याली में नाखुनों के अन्दर आटा लगा रहता है, उसको निकालना भी ज़रूरी है।

ग़र्ज़ कि पूरे जिस्म पर पानी बहाना और जो चीज़ें पानी के बदन तक पहुँचने में रुकावट हैं उनको हटाना ज़रूरी है, वरना ग़ुस्ल नहीं होगा। औरतों के सर के बाल अगर गुंधे हों तो बालों को खोलकर उनका तर करना ज़रूरी नहीं बल्कि बालों की जड़ों तक पानी पहुँचा लेना काफ़ी है। लेकिन अगर बाल गुंधे हुए न हों (आजकल उमूमन यही होता है) तो सारे बालों को अच्छी तरह तर करना भी ज़रूरी है। अब आपके सवालों का जवाब लिखता हूँ।

☆ ग़ुस्ल से पहले वुज़ू करना सुन्नत है, अगर न किया तब भी ग़ुस्ल हो जाएगा।

☆ कपड़ा बाँधना ज़रूरी नहीं, मुस्तहब है।

☆ ग़ुस्ल के वक़्त कोई दुआ, कोई कलिमा पढ़ना ज़रूरी

नहीं, न दुरूद शरीफ़ ज़रूरी है। बल्कि अगर जिस्म पर कोई कपड़ा न हो तो उस हालत में दुआ कलिमा और दुरूद शरीफ़ जायज़ ही नहीं, नंगा होने की हालत में ख़ामोश रहने का हुक्म है, उस वक़्त कलिमा पढ़ना नावाक़िफ़ औरतों की ईजाद (चलाई हुई बात) है।

मस्नून वुज़ू के बाद ग़ुस्ल

सवालः जैसा कि मालूम है कि ग़ुस्ल में तीन चीज़ें फ़र्ज़ हैं:

(1) कुल्ली करना, (2) नाक में पानी डालना और (3) सारे बदन पर पानी डालना। और ग़ुस्ल से पहले वुज़ू सुन्नत है। मौलाना साहिब! मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर किसी आदमी ने ग़ुस्ल से पहले वुज़ू कर लिया और उसमें कुल्ली भी की और नाक में पानी भी डाला लेकिन वुज़ू के बाद ग़ुस्ल से पहले न दोबारा कुल्ली की और न नाक में पानी डाला जो कि फ़र्ज़ है और उसने सोचा कि यह तो मैंने वुज़ू में किया है और सारे बदन पर पानी डाला तो क्या उसका ग़ुस्ल सही है?

जवाबः जब ग़ुस्ल से पहले वुज़ू किया और वुज़ू में कुल्ली भी की और नाक में पानी भी डाला तो वुज़ू के बाद दोबारा कुल्ली करने और नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं, ग़ुस्ल सही हो गया।

ग़ुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना पाक होने के लिए शर्त है

सवालः जिस शख़्स पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो वह ग़ुस्ल नहीं

करता सिर्फ़ नहाने पर इक्तिफ़ा (बस) करता है, क्या वह नहाने से पाक हो जाता है या नहीं?

जवाबः गुस्ल नहाने ही को कहते हैं, अलबत्ता कुल्ली करना और नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना पाक होने के लिए शर्त है।

ग़ुस्ल के आख़िर में कुल्ली और ग़रारे करना याद आना

सवालः कोई शख़्स हालते जनाबत (नापाकी की हालत) में है और वह ग़ुस्ल करता है, जब वह तमाम बदन पर पानी डालता है तो बाद में उसे कुल्ली और ग़रारे याद आते हैं और उसी वक़्त वह कुल्ली और ग़रारे करता है, उस वक़्त उस शख़्स का ग़ुस्ल मुकम्मल हो जाता है या दोबारा पानी डालना पड़ेगा?

जवाबः ग़ुस्ल हो गया दोबारा ग़ुस्ल की ज़रूरत नहीं।

ख़िलाफ़े सुन्नत ग़ुस्ल से पाकी

सवालः ग़ुस्ल अगर सुन्नत के मुताबिक़ अदा न किया जाए तो क्या उससे नापाकी दूर नहीं होती?

जवाबः अगर कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाला और पूरे बदन पर पानी बहा लिया तो तहारत हासिल हो गई, क्योंकि ग़ुस्ल में यही तीन चीज़ें फ़र्ज़ हैं।

रमज़ान में ग़रारे और नाक में पानी डाले बग़ैर ग़ुस्ल करना

सवालः रमज़ान मुबारक के महीने में दिन को किसी को एहतिलाम (स्वप्नदोष) हुआ, रोज़े की वजह से नाक में ऊपर तक पानी नहीं डाल सकता और न ग़रारा कर सकता है। बाद इफ़तारी के ग़रारा करना और नाक में डालना फ़र्ज़ है, वाजिब या मुस्तहब है? अगर किसी ने इफ़तारी के बाद ग़रारा और नाक में पानी नहीं डाला तो क्या उसका ग़ुस्ल जो दिन में किया था काफ़ी है?

जवाबः ग़ुस्ल सही हो गया, इफ़तारी के बाद ग़रारा करने या नाक में पानी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं।

ग़ुस्ल खड़े होकर या बैठकर, खुले मैदान में ग़ुस्ल

सवालः मर्दों को ग़ुस्ल खड़े होकर करना चाहिए या बैठकर? दूसरी बात यह कि नंगे होकर या कुछ पहनकर करना चाहिए, मसलन् धोती, पाजामा। क्या मर्दों का खुले मैदानों में, सेहन में, सड़कों पर नहाना सही या जायज़ है जबकि वहाँ से नामेहरम औरतें और छोटे बड़े बच्चे और दूसरे लोग गुज़रते हों?

जवाबः पर्दे की जगह कपड़े उतार कर ग़ुस्ल करना जायज़ है, और इस सूरत में बैठकर ग़ुस्ल करना ज़्यादा बेहतर है। मर्द

अगर खुले मैदान में नाफ़ से घुटनों तक कपड़ा बाँधकर गुस्ल करे तो जायज़ है और नाफ़ से घुटनों तक सतर खोलना हराम है।

जाँगिया पहनकर गुस्ल और वुज़ू करना

सवालः यहाँ फाँसी वार्ड में बल्कि पूरी जेल के अन्दर हम कैदी लोग गुस्ल करने के लिए अन्डर-वियर या चड्डी पहनते हैं। क्या गुस्ल हो जाएगा अगरचे नापाक भी हो? अगर गुस्ल होता है तो वुज़ू भी हो गया या नहीं?

जवाबः अगर नेकर जाँगिया पहनकर कपड़े के नीचे पानी पहुँच जाए और बदन का पोशीदा (छुपा हुआ) हिस्सा धुल जाए तो गुस्ल सही होगा, गुस्ल में वुज़ू खुद ही हो जाता है, गुस्ल के बाद जब तक कि कम से कम दो रकअ़त नमाज़ न पढ़ ली जाए या कोई दूसरी ऐसी इबादत अदा न कर ली जाए जिसमें वुज़ू शर्त है, दोबारा वुज़ू करना मक्रूह है।

गहरे और जारी पानी में ग़ोता लगाने से पाकी

सवालः मेरे एक दोस्त ने कहा है कि अगर पानी गहरा हो और जारी हो, यानी बहता हुआ हो, उसमें एक मर्तबा डुबकी लगाने से जिस्म पाक हो जाता है। क्या यह सही है?

जवाबः सही है, मगर कुल्ली करना और नाक में पानी डालना भी फ़र्ज़ है। अगर ये दोनों फ़र्ज़ अदा कर ले तो पानी में डुबकी लगाने से गुस्ल हो जाएगा।

हैज़ के बाद पाक होने के लिए क्या करे?

सवालः हैज़ (माहवारी) के बाद पाक होने के लिए क्या-क्या करना चाहिए?

जवाबः बस नजासत (नापाकी) से सफ़ाई हासिल करना और गुस्ल कर लेना।

औ़रत को तमाम बालों का धोना ज़रूरी है

सवालः क्या मियाँ-बीवी वाले हुक़ूक़ अदा करने (सोहबत करने) के बाद पाक होने के लिए गुस्ल में सर के बाल धोना भी शामिल है या बाल गीले किए बग़ैर भी गुस्ल करने से औ़रत पाक हो जाती है?

जवाबः सर के बाल धोना फ़र्ज़ है उसके बग़ैर गुस्ल नहीं होगा, बल्कि अगर एक बाल भी सूखा रह गया तो गुस्ल अदा नहीं हुआ। पुराने ज़माने में औ़रतें सर गूंध लिया करती थीं, ऐसी सूरत में जिसके बाल गूंधे हुए हों उसके लिए यह हुक्म है कि अगर वह अपनी मींढ़ियाँ न खोले और पानी बालों की जड़ों तक पहुँचा ले तो गुस्ल हो जाएगा लेकिन अगर सर के बाल खुले हुए हों जैसा कि आजकल आ़म तौर पर औ़रतें रखती हैं तो पूरे बालों का तर करना गुस्ल का फ़र्ज़ है उसके बग़ैर औ़रत पाक नहीं होगी।

पीतल के दाँत के साथ गुस्ल और वुज़ू सही है

सवालः अदब के साथ गुज़ारिश है कि चूँकि मेरे सामने एक मसला पेचीदा ज़ेरे ग़ौर है, वह यह है कि मेरे सामने वाले

दो चौड़े दाँतों में से एक दाँत आधा टूटा हुआ था और आधा बाक़ी था, इस आधे दाँत के ऊपर मैंने पीतल का कवर चढ़ाया हुआ है, जो दूसरे दाँतों की तरह मज़बूत है और अलग करने से जुदा नहीं होता, लेकिन बाज़ हज़रात यह कहते हैं कि तुम्हारे दाँत तक पानी नहीं पहुँचता है लिहाज़ा तुम्हारा वुज़ू सही नहीं होता है और इसी लिए नमाज़ भी सही नहीं होती।

जवाबः आपका ग़ुस्ल और वुज़ू सही है।

चाँदी से दाढ़ भरवाने वाले का ग़ुस्ल

सवालः एक शख़्स ने अपनी दाढ़ की चाँदी से भराई करवाई है क्या इस तरह उसका ग़ुस्ल और वुज़ू हो जाता है? जबकि पानी अन्दर तक नहीं जाता।

जवाबः ग़ुस्ल और वुज़ू हो जाता है।

दाँत भरवाने से सही ग़ुस्ल में रुकावट नहीं

सवालः मेरे एक दाँत में सुराख़ है, जिसकी वजह से दाँत दर्द करता है और मुँह से बदबू भी आती है। मैं उसको डाक्टर से भरवाना चाहता हूँ लेकिन बाज़ लोगों की राय है कि ऐसा करने से ग़ुस्ल नहीं होता।

जवाबः बाज़ लोगों की यह राय सही नहीं, दाँत भरवा लेने के बाद जब मसाला दाँत के साथ फ़िट हो जाए तो उसका हुक्म अजनबी चीज़ का नहीं रहता, इसलिए वह ग़ुस्ल के सही होने से रुकावट नहीं।

दाँतों पर किसी धातु का ख़ोल हो तो गुस्ल का जवाज़

सवालः "आपके मसाईल और उनका हल" में मुझे आपके दिए हुए एक सवाल के जवाब पर एतिराज़ है, सवाल इस प्रकार है।

(सवाल) दाँतों के ऊपर सोना या उसके हम-शक्ल धातु से बनाए हुए कवर चढ़ाना जायज़ है या नहीं? और ऐसी हालत में उसका वुज़ू और गुस्ल हो जाता है या नहीं?

(जवाब) जायज़ है और गुस्ल हो जाता है।

जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो आपका जवाब ग़ुस्ले जनाबत (पाक होने के लिये ग़ुस्ल करने) के लिए ग़लत है, हाँ आ़म गुस्ल हो सकता है जबकि ग़ुस्ले जनाबत के लिए हुक्म यह है कि होंठों से हलक़ तक हर ज़र्रे-ज़र्रे पर पानी का पहुँचाना फ़र्ज़ है। इतनी हद तक कि दाँतों में कोई ऐसी सख़्त चीज़ फंसी हुई है जिसकी वजह से उस जगह पानी न पहुँच सका हो तो गुस्ले जनाबत में ऐसी चीज़ को दाँतों से छुड़ाकर पानी बहाया जाए वरना दूसरी सूरत में गुस्ल नहीं होता। मगर आपने दाँतों के ऊपर तो पूरा कवर चढ़ाने की इजाज़त दे दी है और सोने का कवर चढ़ने की सूरत में पानी उस दाँत तक नहीं पहुँच सकता और पानी न पहुँचने की सूरत में गुस्ले जनाबत (नापाकी से पाक होने के लिये नहाने में) अदा न होगा और अगर गुस्ल अदा न हुआ तो नमाज़ अकारत हो

जाती है।

जवाबः आपने सही लिखा है कि अगर दाँतों के अन्दर कोई चीज़ ऐसी फंसी हुई हो जो पानी के पहुँचने में रुकावट हो तो गुस्ले जनाबत के लिए उसका निकालना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। मगर यह हुक्म उसी वक़्त है जबकि उसका निकालना बग़ैर मशक़्क़त के मुम्किन भी हो, लेकिन जो चीज़ इस तरह फ़िट हो जाए कि उसका निकालना मुम्किन न रहे, जैसे दाँतों पर सोने-चाँदी का ख़ोल (कवच) इस तरह जमा दिया जाए कि वह उतर न सके तो उसके ज़ाहिरी हिस्से को दाँत का हुक्म दिया जाएगा और उसको उतारे बग़ैर गुस्ल जायज़ होगा।

मेहंदी के रंग के बावजूद गुस्ल हो जाता है

सवालः हमारी बुज़ुर्ग औरतों का यह फ़रमाना है कि अगर दिनों के दौरान मेहंदी लगाई जाए तो जब तक हिना का रंग मुकम्मल तौर पर उतर न जाए पाकी का गुस्ल नहीं होगा।

जवाबः औरतों का यह मसला बिल्कुल ग़लत है, गुस्ल हो जाएगा गुस्ल के सही होने के लिए मेहंदी के रंग का उतारना कोई शर्त नहीं।

अटेच बाथरूम में गुस्ल से पाकी

सवालः आजकल एक फ़ैशन हो गया है कि मकानों में "अटेच बाथरूम" बनाए जाते हैं यानी यह कि बैतुलख़ला और गुस्लख़ाना एक साथ होता है, तो क्या ऐसी जगह गुस्ल करने

से इनसान पाक हो जाता है?

जवाबः जिस जगह गुस्ल कर रहा है अगर वह पाक है और नापाक जगह से छींटे भी नहीं आते तो पाक न होने की क्या वजह है? अगर वह जगह मश्कूक हो (यानी उसके नापाक होने का शक हो) तो पानी बहाकर उसको पाक कर लिया जाए फिर गुस्ल किया जाए।

ट्रेन में गुस्ल कैसे करें?

सवालः गुज़ारिश है कि कराची से लाहौर बज़रिये ट्रेन आते हुए रात गुस्ल की हाजत पेश आ गई जिससे कपड़े भी ख़राब हो गए। बराहे करम तहरीर फ़रमाएँ कि बक़िया सफ़र में फ़र्ज़ नमाज़ की अदायेगी की क्या सूरत हो सकती है? ट्रेन में पानी वुज़ू की हद तक तो मौजूद होता है गुस्ल के लिए न तो पानी मयस्सर होता है और न गुस्ल करना मुम्किन ही होता है।

जवाबः उमूमन ट्रेन में इतना पानी मौजूद होता है लेकिन मान लीजिये वुज़ू के लिए पानी हो मगर गुस्ल के लिए बक़द्रे किफ़ायत पानी न हो तो गुस्ल के लिए तयम्मुम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए निम्न शर्तें हैं।

1. ट्रेन के किसी डब्बे में भी इतना पानी न हो जिससे गुस्ल के फ़राईज़ अदा हो सकें।

2. रास्ते में एक मील शरई के अन्दर स्टेशन न हो जहाँ पानी का मौजूद होना मालूम हो।

3. ट्रेन के तख़्तों पर इतनी मिट्टी जमी हुई हो जिससे

तयम्मुम हो सके।

अगर इन शर्तों में से कोई शर्त न पाई जाए तो जिस तरह बन पड़े उस वक़्त तो नमाज़ पढ़ ले मगर बाद में गुस्ल करके नमाज़ का लौटाना ज़रूरी है।

ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना मक्रूह है

सवालः पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना ग़लत है, चाहे वह वुज़ू में क्यों न हो, तो जनाब आप यह बताएँ कि क्या बड़े साईज़ की चार बालटी पानी से गुस्ल करना क़ुरआन व हदीस की रोशनी में दुरुस्त है? जबकि वही शख़्स एक बालटी पानी से अच्छी तरह गुस्ल कर सकता है?

जवाबः पाक होने के लिए तो तक़रीबन चार सेर पानी काफ़ी है, जिस्म की सफ़ाई या ठंडक हासिल करने की नीयत से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल में भी हर्ज नहीं, बिना ज़रूरत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना मक्रूह (बुरा) है।

पानी में सोना डालकर नहाना

सवालः मेरे बड़े भाई घर में आकर सोने की अंगूठी पानी में डाल कर नहा लिए। वजह पूछने पर मालूम हुआ कि उनके ऊपर छिपकली गिर गई थी उनको मशिवरा दिया गया कि आप जाकर सोने की कोई चीज़ पानी में डालकर नहा लें, वरना आप पाक नहीं होंगे। मैं आप से यह मालूम करना चाहता हूँ कि जब मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है तो

आप यह वज़ाहत कर दें कि सोने के पानी से नहाना दुरुस्त है या नहीं?

जवाबः पानी में सोने की चीज़ डालकर नहाने में तो गुनाह नहीं, मगर उनको किसी ने मसला ग़लत बताया कि जब तक सोने की चीज़ पानी में डालकर न नहाएँ पाक न होंगे।

क़ज़ा-ए-हाजत और गुस्ल के वक़्त किस तरफ़ मुँह करे

सवालः गुस्ल करते वक़्त कौनसी दिशा होनी चाहिए? आजकल गुस्लख़ाने और बैतुलख़ला (लैट्रीन) एक साथ ही होते हैं, ऐसे में गुस्ल के लिए किस तरह दिशा का अन्दाज़ा लगाया जाएगा, और बैतुलख़ला के लिए कौनसी दिशा मुक़र्रर है?

जवाबः क़ज़ा-ए-हाजत (पेशाब पाख़ाने की ज़रूरत पूरी करने) के वक़्त न तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह होना चाहिए और न क़िब्ले की तरफ़ पीठ होनी चाहिए। क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करना मक्रूहे तहरीमी है। गुस्ल की हालत में अगर गुस्ल बिल्कुल नंगा होकर किया जा रहा है तो उस सूरत में क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करना मक्रूहे तन्ज़ीही है, बल्कि रुख़ उत्तर या दक्षिण की तरफ़ होना चाहिए। और अगर सतर ढाँक कर गुस्ल किया जा रहा है तो उस सूरत में किसी भी तरफ़ रुख़ करके गुस्ल किया जा सकता है।

नापाकी की हालत में वुज़ू करके खाना बेहतर है

सवालः जनाबत (जब ग़ुस्ल वाजिब हो) की हालत में क्या खाना पीना और हलाल जानवर ज़िबह करना दुरुस्त है?

जवाबः जनाबत की हालत में खाना पीना और दूसरे ऐसे आमाल जिनमें तहारत शर्त नहीं जायज़ है, मगर खाने पीने से पहले इस्तिन्जा और वुज़ू कर लेना अच्छा है। बुख़ारी शरीफ़ और मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है-

''नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जनाबत (नहाना वाजिब होने) की हालत में जब खाने या सोने का इरादा फ़रमाते तो वुज़ू फ़रमा लिया करते थे।'' (मिश्कात पेज 49)

नापाकी की हालत में खाने पीने की इजाज़त

सवालः काफ़ी दिनों से सुनते आए हैं कि एहतिलाम (सोने की हालत में नहाने की ज़रूरत पेश आने) के बाद यानी जनाबत की हालत में ग़ुस्ल करने से पहले खाना पीना हराम है, बाक़ी जब कोई मजबूरी हो यानी पानी वग़ैरह ग़ुस्ल के लिए न हो तो उस हालत में या ज़्यादा भूख या प्यास लगने की हालत में आदमी वुज़ू करे जिसमें ग़रारे करे और नाक में पानी पहुँचाए, फिर कुछ खा-पी सकता है?

जवाबः जनाबत की हालत में खाने पीने की इजाज़त है, अलबत्ता बग़ैर कुल्ली किए पानी पीना मक्रूहे तन्ज़ीही है, और

इसमें सिर्फ़ पहला घूँट मक्रूह है, क्योंकि यह पानी मुँह की जनाबत (नापाकी) दूर करने में इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह हाथ धोने से पहले कुछ खाना पीना मक्रूहे तन्ज़ीही है।

गुस्ल की हाजत हो तो रोज़ा रखना और खाना पीना

सवालः अगर आदमी को गुस्ल की हाजत हो औ उसे रोज़ा भी रखना हो तो क्या गुस्ल से पहले रोज़ा रखना जायज़ है? और ऐसी हालत में खाना पीना मक्रूह तो नहीं?

जवाबः हाथ-मुँह धोकर खा पी ले और रोज़ा रख ले, गुस्ल बाद में कर ले, जनाबत (नापाकी) की हालत में खाना पीना मक्रूह नहीं।

गुस्ले जनाबत में देरी करना

सवालः मैंने आपके कॉलम में पढ़ा था कि हालते जनाबत (नापाकी की हालत) में खाने पीने की इजाज़त है। मालूम यह करना है कि हालते जनाबत में कितनी देर तक खाने पीने की इजाज़त है? और हालते जनाबत में कितनी देर तक रह सकते हैं?

जवाबः जनाबत (नापाकी की हालत, जब नहाना वाजिब हो) की हालत में हाथ-मुँह धोकर खाना पीना जायज़ है, लेकिन गुस्ल में इतनी ताख़ीर (देरी) करना कि नमाज़ फ़ौत हो जाए सख़्त गुनाह है।

ग़ुस्ल न करने में दफ़्तरी मशग़ूलियत का उज़्र क़ाबिले क़बूल नहीं

सवालः एक शख़्स पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ है लेकिन दफ़्तर को भी देर हो रही है, ऐसी सूरत में काम के वक़्तों के दौरान तयम्मुम करके नमाज़ें पढ़ना जायज़ है या उस वक़्त तक नमाज़ छोड़ता रहे जब तक ग़ुस्ल नहीं कर लेता?

जवाबः शहर में पानी के मौजूद होते हुए तयम्मुम कैसे किया जा सकता है? और यह उज़्र कि दफ़्तर जाने में देर हो रही है, सुने जाने के लायक़ नहीं, जब उस शख़्स पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ है तो उसको फ़जर की नमाज़ से पहले उठकर ग़ुस्ल का एहतिमाम करना चाहिए। ग़ुस्ल में इतनी देर करना कि नमाज़ क़ज़ा हो जाए हराम और सख़्त गुनाह है।

ग़ुस्ल और वुज़ू में शक की कस्रत

सवालः ग़ुस्ल और वुज़ू करते हुए पानी काफ़ी बहाता हूँ और ग़ुस्ल और वुज़ू से फ़राग़त के बाद बेइन्तिहा शक करता हूँ कि कहीं बाल बराबर जगह सूखी न रह गई हो। आप कुछ इस शक के बारे में हल बतला दें।

जवाबः ग़ुस्ल और वुज़ू सुन्नत के मुताबिक़ करें। यानी तीन-तीन बार आज़ा (बदन के अंगों) पर पानी बहा लें, उसके बाद शक करना ग़लत है चाहे कितने ही वस्वसे (ख़्यालात) आएँ कि कोई बाल सूखा रह गया होगा, मगर उसको शैतानी ख़्याल समझें और उसकी कोई परवाह न करें।

गुस्ले जनाबत के बाद पहले वाले कपड़े पहनना

सवालः यह बताएँ कि अगर एक शख़्स को गुस्ल की हाजत हो जाए या उस पर गुस्ले जनाबत फ़र्ज़ हो जाए तो क्या वह गुस्ल करके दोबारा वही कपड़े पहन सकता है जबकि वे कपड़े मसलन् सूईटर या क़मीज़ वग़ैरह हों, जिन पर कोई नजासत (नापाकी) न लगी हो।

जवाबः बिला शुब्हा पहन सकता है।

नापाकी में नाखुन और बाल काटना मक्रूह है

सवालः यह भी वज़ाहत फ़रमा दें कि नाखुन और बाल नापाकी की हालत में काट सकते हैं या नहीं? या उसमें वक्त जगह की कोई क़ैद है?

जवाबः नापाकी की हालत में नाखुन और बाल काटना मक्रूह है, लेकिन अगर नाखुन या बाल धोने के बाद काटे तो मक्रूह भी नहीं।

नापाकी में इस्तेमाल किए गये कपड़ों बरतनों वग़ैरह का हुक्म

सवालः अगर एक नापाक आदमी किसी चीज़ का इस्तेमाल करे जैसे बिस्तरों, कपड़ों, बरतनों का, तो ये चीज़ें नापाक हो जाती हैं या नहीं? क्योंकि रात को मुझे एहतिलाम

हो गया (यानी सोते में नहाने की ज़रूरत पेश आ गयी), मैंने दूसरी दोपहर को गुस्ल किया मगर रात में उसी वक़्त गंदगी साफ़ कर ली थी।

जवाबः नापाकी की हालत में खाना पीना और दूसरे काम जायज़ हैं और जुनुबी (नापाक) आदमी के इस्तेमाल करने से ये चीज़ें नापाक नहीं होतीं, लेकिन गुस्ल में इतनी ताख़ीर (देरी) करना कि नमाज़ का वक़्त क़ज़ा हो जाए गुनाह और सख़्त हराम है।

जनाबत की हालत में मिलना जुलना और सलाम का जवाब

सवालः आदमी हालते जनाबत में किसी से मिल सकता है और सलाम का जवाब दे सकता है या सलाम कर सकता है कि नहीं?

जवाबः जनाबत (यानी नापाकी) की हालत में किसी से मिलना, सलाम कहना, सलाम का जवाब देना और खाना पीना जायज़ है।

नंगे बदन गुस्ल करने वाला बात कर ले तो गुस्ल जायज़ है

सवालः अगर नंगे बदन गुस्ल करते वक़्त किसी से बातचीत कर ली जाए तो गुस्ल दोबारा करना होगा या नहीं?

जवाबः नंगा होने की हालत में बातचीत नहीं करनी

चाहिए लेकिन गुस्ल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं।

नाफ़ के नीचे के बाल कहाँ तक मूँडने चाहिएँ

सवालः बाल ज़ेरे नाफ़ कहाँ तक मूँडने चाहिएँ उनकी हद कहाँ से कहाँ तक है?

जवाबः नाफ़ से लेकर रानों की जड़ों तक और पेशाब पाख़ाने की जगह के इर्द-गिर्द जहाँ तक मुम्किन हो।

ग़ैर-ज़रूरी बाल कितने समय बाद साफ़ करें

सवालः आपसे मालूम यह करना है कि ग़ैर-ज़रूरी बाल कितने दिनों के बाद साफ़ करने चाहिएँ?

जवाबः ग़ैर-ज़रूरी बालों का हर हफ़्ते साफ़ करना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है, चालीस दिन तक सफ़ाई को टालने की इजाज़त है, उसके बाद गुनाह है, नमाज़ इस हालत में भी हो जाती है।

हर हफ़्ते सफ़ाई अफ़ज़ल है

सवालः नाफ़ के नीचे के बालों की सीमा और हद कहाँ से कहाँ तक है?

जवाबः नाफ़ से लेकर रानों की जड़ तक और शर्मगाह (आगे, पीछे) के इर्द-गिर्द जहाँ तक मुम्किन हो सफ़ाई करना ज़रूरी है। हर हफ़्ते सफ़ाई अफ़ज़ल (बेहतर) है, चालीस दिन तक छोड़ने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा देर करना मना (वर्जित) है।

सीने के बाल ब्लेड से साफ़ करना

सवालः सीने के बाल ब्लेड या उस्तरे से साफ़ किए जा सकते हैं या नहीं?

जवाबः जी हाँ जायज़ है।

पिंडलियों और रानों के बाल ख़ुद साफ़ करना या नाई से साफ़ करवाना

सवालः टाँगों यानी रानों और पिंडलियों के बाल ब्लेड या उस्तरे से बनाए या नाई से बनवाये जा सकते हैं या नहीं?

जवाबः साफ़ करने में तो हर्ज नहीं लेकिन रानें सतर (छुपाने की जगह) हैं, नाई से साफ़ कराना जायज़ नहीं।

कटे हुए बाल पाक होते हैं

सवालः सुना है कि जिस्म के बाल जब तक जिस्म के ऊपर होते हैं तो पाक होते हैं, लेकिन तरश्वा यानी कटवा दिए जाते हैं तो नापाक हो जाते हैं। अगर यह सही है तो फिर बाल कटवा कर बग़ैर नहाये नमाज़ पढ़ ले कि जमाअ़त की नमाज़ जा रही है तो क्या ऐसी सूरत में नमाज़ हो जाएगी?

जवाबः बाल कटवाने से न ग़ुस्ल वाजिब होता है न वुज़ू टूटता है कटे हुए बाल भी पाक होते हैं, आपने ग़लत सुना है।

किन चीज़ों से ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है और किन से नहीं

सोने में नापाक हो जाने के बाद ग़ुस्ल

सवालः अगर कोई शख़्स सोते में नापाक हो जाए तो क्या उस पर ग़ुस्ल ज़रूरी है? और क्या वह उस हालत में खा-पी सकता है? अगर किसी चीज़ को हाथ लगा दे तो क्या वह नापाक हो जाएगी?

जवाबः सोते में आदमी नापाक हो जाए तो उससे ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, मगर उससे रोज़ा नहीं टूटता। जब ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो तो उस हालत में खाना पीना जायज़ है और हाथ साफ़ करके किसी चीज़ को हाथ लगाया जाए तो वह नापाक नहीं होती।

हमबिस्तरी के बाद ग़ुस्ले जनाबत मर्द औ़रत दोनों पर वाजिब है

सवालः हमबिस्तरी (सोहबत व संभोग) के बाद क्या औ़रत पर भी ग़ुस्ले जनाबत (पाक होने के लिये नहाना) वाजिब हो जाता है?

जवाबः मर्द और औ़रत दोनों पर ग़ुस्ल वाजिब है।

ख़्वाब में ख़ुद को नापाक देखना

सवालः ख़्वाब में अगर कोई अपने आपको नापाक हालत में देखे जैसे हैज़ (माहवारी) वग़ैरह, तो क्या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है या सिर्फ़ वुज़ू से नमाज़ हो जाएगी?

जवाबः सिर्फ़ ख़्वाब में अपने आपको नापाक देखने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, जब तक जिस्म पर कोई नजासत (नापाकी) ज़ाहिर न हो।

अनीमा के अ़मल से गुस्ल वाजिब नहीं

सवालः पित्ते के ऐक्स्रे के लिए मरीज़ का ऐक्स्रे से पहले अनीमा किया जाता है, यानी पाख़ाने की जगह से एक ख़ास नुलकी के ज़रिये मरीज़ की आँतों में पानी पहुँचाया जाता है। पानी इतना पहुँचाया जाता है कि आँतें ख़ूब भर जाती हैं, और पानी उसी दौरान वापस आने लगता है, जिससे मरीज़ की टाँगें कपड़े वग़ैरह भीग जाते हैं। इस हालत में मरीज़ को तहारत-ख़ाने पहुँचाया जाता है जहाँ मरीज़ को पहुँचाया हुआ पानी पाख़ाने की जगह के ज़रिये ख़ारिज हो जाता है, शायद इस तरीक़े का मक़सद आँतों की सफ़ाई हो।

(क) क्या इस सूरत में गुस्ल वाजिब है?

(ख) अगर गुस्ल वाजिब नहीं तो टाँगें वग़ैरह धोना और कपड़े तब्दील करना ज़रूरी है या नहीं?

(ग) अगर गुस्ल वाजिब नहीं है तो क्या इस हालत में नमाज़ हो जाएगी?

जवाबः अनीमा के अ़मल से ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता मगर ख़ारिज शुदा (अन्दर से निकला हुआ) पानी चूँकि नजिस (नापाक) है इसलिए बदन और कपड़ों पर जो नजासत लग जाती है उसका धोना ज़रूरी है। नजासत से पाकी हासिल करने के बाद बग़ैर ग़ुस्ल किए नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

लाश की डॉक्टरी चीर-फाड़ करने से ग़ुस्ल लाज़िम नहीं

सवालः मैं मैडिकल कालिज का तालिब-इल्म हूँ चूँकि हमें तालीम के दौरान डाई-सेक्शन भी करना होता है इसलिए यह बताएँ कि इनसानी लाश के गोश्त को हाथ लगाने के बाद क्या ग़ुस्ल लाज़िम हो जाता है?

जवाबः नहीं, बल्कि हाथ धोना काफ़ी है।

औ़रत को बच्चा पैदा होने पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं

सवालः औ़रत के जब बच्चा पैदा होता है क्या उसी वक़्त ग़ुस्ल करना वाजिब है? चूँकि हमने सुना है कि अगर औ़रत ग़ुस्ल न करेगी तो उसका खाना पीना सब हराम और गुनाह है, जबकि कराची के अस्पतालों में कोई नहीं नहाता।

जवाबः हैज़ व निफ़ास वाली औ़रत के हाथ का खाना जायज़ है जब तक वह पाक न हो जाए उस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं, और यह ख़्याल बिल्कुल ग़लत है कि बच्चा पैदा होने के

बाद उसी वक़्त गुस्ल करना वाजिब है, बल्कि जब ख़ून बन्द हो जाए तो उसके बाद गुस्ल वाजिब होगा।

पेशाब के साथ क़तरे ख़ारिज होने पर गुस्ल वाजिब नहीं

सवालः पेशाब के दौरान अगर चन्द क़तरे भी ख़ारिज हो जाएँ तो क्या ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब हो गया या नहीं?

जवाबः पेशाब के दौरान क़तरे ख़ारिज होने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। बाज़ लोगों को यह बीमारी होती है कि पेशाब से पहले या बाद दूध की सी शक्ल का माद्दा ख़ारिज होता है उसको "वदी" कहते हैं और उसके ख़ारिज होने से गुस्ल वाजिब नहीं होता।

वुज़ू या गुस्ल के बाद पेशाब का क़तरा आने पर वुज़ू दोबारा करें गुस्ल नहीं

सवालः वुज़ू के बाद अगर पेशाब का क़तरा आ जाए तो क्या दोबारा वुज़ू करना चाहिए? गुस्ल के बाद अगर कभी पेशाब का क़तरा आ जाए तो क्या दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी है?

जवाबः पेशाब का क़तरा आने पर वुज़ू टूट जाता है दोबारा इस्तिन्जा और वुज़ू करना चाहिए गुस्ल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। और अगर गुस्ल के बाद मनी (वीर्य) ख़ारिज हो जाए तो उसमें यह तफ़सील है कि अगर गुस्ल से पहले सो

लिया हो, या पेशाब कर लिया हो, या चल-फिर लिया हो तो दोबारा ग़ुस्ल की ज़रूरत नहीं, और अगर सोहबत से फ़ारिग़ होकर फ़ौरन ग़ुस्ल कर लिया न पेशाब किया, न सोया, न चला-फिरा, बाद में मनी ख़ारिज हुई तो दोबारा ग़ुस्ल लाज़िम है।

अगर ग़ुस्ल करने के बाद मनी या पेशाब का क़तरा आ जाये तो क्या ग़ुस्ल वाजिब होगा?

सवालः अगर ग़ुस्ल के बाद या नमाज़ पढ़ने के बाद मनी (वीर्य) या पेशाब वग़ैरह का क़तरा आ जाए तो ग़ुस्ल वाजिब होगा या नहीं?

जवाबः अगर ग़ुस्ल करने से पहले सो गया था या पेशाब कर लिया था, या चल-फिर लिया था तो दोबारा ग़ुस्ल वाजिब नहीं। और अगर इन बातों से पहले ग़ुस्ल किया था और मनी का क़तरा निकल आया तो ग़ुस्ल दोबारा करे, लेकिन क़तरा निकलने से पहले जो नमाज़ पढ़ी वह हो गई। और अगर पेशाब का क़तरा आया तो ग़ुस्ल वाजिब नहीं सिर्फ़ वुज़ू कर लेना काफ़ी है, और कपड़े में जहाँ नजासत लगी हो उसका धोना काफ़ी है।

नोटः माज़ूर के अहकाम संबन्धित अध्याय में देखें जो इसी किताब में आगे शामिल है।

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

तयम्मुम

पानी न मिलने पर तयम्मुम क्यों?

सवालः पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम कराया जाता है, इसमें क्या मस्लेहत है?

जवाबः मेरे भाई हमारे लिए सबसे बड़ी मस्लेहत यही है कि अल्लाह पाक का हुक्म है और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। वैसे क़ुरआने करीम ने इसकी मस्लेहतों की तरफ़ भी इशारा किया है, चुनाँचे इरशाद हैः

"अल्लाह यह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी डाले, बल्कि वह यह चाहता है कि तुमको पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे, ताकि तुम शुक्र करो" (सूरः मायदा रुकूअ़ 2)

इस आयते करीमा से मालूम हुआ कि हक़ तआ़ला शानुहू ने पानी न मिलने की सूरत में मिट्टी को पाक करने वाली बनाया है। जिस तरह पानी इनसानी बदन को पाक करने वाला है इसी तरह पानी पर क़ुदरत न होने की हालत में मिट्टी से तयम्मुम करना भी पाक करने वाला है। हज़रत शैख़ुल-हिन्द मौलाना महमूद हसन देवबन्दी रह0 अपने तर्जुमे के फ़वाईद में लिखते हैं:

"मिट्टी ताहिर (पाक) है और बाज़ चीज़ों के लिए पानी की तरह मुतह्हिर (पाक करने वाली) भी है। जैसे ख़ुफ़ (चमड़े का मोज़ा) तलवार आईना वग़ैरह, और नजासत ज़मीन पर

गिरकर ख़ाक हो जाती है, वह भी पाक हो जाती है। और साथ ही हाथ और चेहरे पर मिट्टी मलने में इज्ज़ (विनम्रता) भी पूरा है, जो गुनाहों से माफ़ी माँगने की आला सूरत है। सो जब मिट्टी ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की नजासत (नापाकी) को ज़ायल (दूर) करती है तो इसलिए पानी हासिल न होने की सूरत में पानी के क़ायम-मक़ाम की गई। इसके अलावा आसानी व सहूलियत का तक़ाज़ा यह है, जिस पर तयम्मुम का हुक्म आधारित है यह कि पानी के क़ायम-मक़ाम ऐसी चीज़ की जाए जो पानी से ज़्यादा आसानी से हासिल हो। सो ज़मीन का ऐसा होना ज़ाहिर है, क्योंकि वह सब जगह मौजूद है। इसी के साथ ख़ाक इनसान की असल है और अपनी असल की तरफ़ रुजू करने (लौटने) में गुनाहों और ख़राबियों से बचाव है। काफ़िर भी आरज़ू करेंगे कि किसी तरह ख़ाक में मिल जाएँ जैसा कि पहले आयत में मज़कूर हुआ।" (तर्जुमा शैख़ुल-हिन्द, सूरः निसा आयत 43)

तयम्मुम कब करना जायज़ है

सवालः हमारे ख़ानदान की अक्सर औरतें तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ती हैं जबकि घर में पानी भी मौजूद होता है, और उन औरतों को कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है जिसमें पानी से नुक़सान पहुँचने का अन्देशा हो। क्या ऐसी नमाज़ें क़बूल होंगी? ऐसी नमाज़ों के बारे में क्या हुक्म है?

जवाबः तयम्मुम की इजाज़त सिर्फ़ ऐसी सूरत में है कि पानी के इस्तेमाल पर क़ुदरत न हो, जो शख़्स पानी इस्तेमाल

कर सकता है उसका तयम्मुम जायज़ नहीं, न उसकी नमाज़ सही होगी। और पानी के इस्तेमाल पर क़ुदरत न होने की दो सूरतें हैं एक यह कि पानी मयस्सर ही न आए, यह सूरत उमूमन सफ़र में पेश आ सकती है। पस अगर पानी एक मील दूर हो, या कुआँ तो है मगर कुएँ से पानी निकालने की कोई सूरत नहीं, या पानी पर कोई दरिन्दा बैठा है, या पानी पर दुश्मन का क़ब्ज़ा है और उसके ख़ौफ़ की वजह से पानी तक पहुँचना मुम्किन नहीं तो इन तमाम सूरतों में उस शख़्स को गोया पानी मयस्सर नहीं, और वह तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है।

दूसरी सूरत यह है कि पानी तो मौजूद है मगर वह बीमार है और वुज़ू या गुस्ल से जान की हलाकत का या किसी उज़्व (बदन के अंग) के तलफ़ (ज़ाया) हो जाने का या बीमारी में शिद्दत हो जाने का या बीमारी के तूल पकड़ जाने का अन्देशा है, या ख़ुद वुज़ू या गुस्ल करने से माज़ूर है और कोई दूसरा आदमी वुज़ू और गुस्ल कराने वाला मौजूद नहीं, तो ऐसा शख़्स तयम्मुम कर सकता है। जो औरतें इन माज़ूरियों के बग़ैर तयम्मुम कर लेती हैं उनका तयम्मुम कैसे जायज़ हो सकता है? और तहारत के बग़ैर नमाज़ कैसे सही हो सकती है?

तयम्मुम करने का तरीक़ा

सवालः तयम्मुम का तरीक़ा क्या है?

जवाबः पाक होने की नीयत करके दोनों हाथ पाक मिट्टी

पर फेर कर उनको झाड़ लीजिए और अच्छी तरह मुँह पर मल लीजिए, कि एक बाल की जगह भी ख़ाली न रहे, फिर दोबारा मिट्टी पर हाथ मार कर दोनों हाथों पर कोहनियों तक मल लीजिए।

पानी होते हुए तयम्मुम करना जायज़ नहीं

सवालः मेरे एक दोस्त हैं नमाज़ रोज़े के बड़े पाबन्द हैं। उनका कहना है कि बाज़ लोग नमाज़ रोज़े की पाबन्दी इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इस मामले में इन्तिहा-पसन्द हो जाते हैं और फिर पूरी तरह उस पर अ़मल-पैरा नहीं हो सकने की वजह से उसे छोड़ देते हैं। इसलिए हमें एतिदाल (दरमियानी राह) से काम लेना चाहिए। इसी लिए वह अक्सर रात के वक़्त पानी होते हुए भी तयम्मुम करके नमाज़ अदा करते हैं। टी. वी. ड्रामों से फ़ारिग़ हो जाते हैं तब इशा की नमाज़ अदा करते हैं वग़ैरह-वग़ैरह। जबकि मेरा ज़ाती ख़्याल यह है कि अगर हम कोई फ़र्ज़ अदा करें तो उसे पूरे लवाज़िमात (उससे संबन्धित आदाब) के साथ अदा करें, उसकी तमाम शर्तें पूरी करें। बताईये आप इस बारे में क्या कहते हैं?

जवाबः आपकी बात सही है। पानी होते हुए तयम्मुम नहीं हो सकता। आपके दोस्त का यह कहना तो सही है कि "हमें एतिदाल से काम लेना चाहिए" लेकिन हमें "एतिदाल का पैमाना" अपने पास से ईजाद करने की इजाज़त नहीं कि जिस चीज़ को हमारी तबीयत "एतिदाल" कहे बस उसको

''एतिदाल'' (सही और दरमियानी रास्ता) समझा जाए। एतिदाल का पैमाना ख़ुद शरीअ़ते पाक है। चुनाँचे क़ुरआने करीम में है:

'फिर न पाओ तुम पानी तो क़स्द (इरादा) करो पाक मिट्टी का'।

आप देख रहे हैं कि क़ुरआने करीम ने पानी न मिल सकने को तयम्मुम की शर्त ठहराया, पस यह तो एतिदाल हुआ, और जो शख़्स पानी के होते हुए बग़ैर किसी उज़्र के तयम्मुम से नमाज़ टरख़ा लेता है वह बेएतिदाली का मुर्तकिब (करने वाला) है।

वुज़ू और ग़ुस्ल के तयम्मुम का एक ही तरीक़ा है

सवालः क्या वुज़ू और ग़ुस्ल के तयम्मुम में कुछ फ़र्क़ है? जनाबत के ग़ुस्ल के लिए मैंने पढ़ा है कि ज़मीन पर लेटकर एक करवट दाईं तरफ़ मुकम्मल करके दूसरी करवट बाईं तरफ़ मुकम्मल करो, यह जनाबत (पाक होने) का तयम्मुम हो गया। यह कहाँ तक दुरुस्त है?

जवाबः वुज़ू और ग़ुस्ल के तयम्मुम में कोई फ़र्क़ नहीं, दोनों का एक तरीक़ा है। जनाबत (नापाकी से पाक होने) के ग़ुस्ल के लिए आपने ज़मीन पर लेटने और मिट्टी से लत-पत होने की जो बात सुनी है वह ग़लत है।

तयम्मुम किन चीज़ों से जायज़ है?

सवालः तयम्मुम किन चीज़ों से हो सकता है? मसलन्

सिमेन्ट वाला फ़र्श, साफ़ कपड़ा, मिट्टी वग़ैरह।

जवाबः तयम्मुम पाक मिट्टी से हो सकता है या जो चीज़ मिट्टी की जिन्स से हो, लकड़ी कपड़ा लोहा जैसी चीज़ों से तयम्मुम नहीं होगा, अलबत्ता अगर कपड़े लकड़ी वग़ैरह पर ग़ुबार पड़ा हो तो उससे तयम्मुम जायज़ है।

वक़्त की तंगी की वजह से बजाय ग़ुस्ल के तयम्मुम जायज़ नहीं

सवालः एक शख़्स जमाअ़त से नमाज़ पढ़ता है। उसको फ़जर की नमाज़ से पहले ग़ुस्ल की हाजत है, उसकी आँख उस वक़्त खुली जब सूरज के निकलने में सिर्फ़ 15-20 मिनट बाक़ी हैं। वह इतनी देर में ग़ुस्ल करेगा तो नमाज़ का वक़्त जाता रहेगा। ऐसी सूरत में क्या वह शख़्स तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है?

जवाबः महज़ वक़्त की तंगी की वजह से तयम्मुम करना जायज़ नहीं, ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़े। और अगर वक़्त निकल जाए तो क़ज़ा पढ़े, अलबत्ता बेहतर यह है कि उस वक़्त तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले बाद में ग़ुस्ल करके नमाज़ की क़ज़ा कर ले।

तयम्मुम बीमारी में सही है, कम-हिम्मती से नहीं

सवालः मैं टी. बी. की मरीज़ हूँ। अगस्त से लेकर अप्रैल

मई तक मुझे लगातार बुख़ार नज़ला जुकाम और जिस्म में कहीं न कहीं दर्द रहता है। इस तकलीफ़ की वजह से अ़सर से इशा तक तयम्मुम करती हूँ। इस्लामी रू से यह तरीक़ा सही है या ग़लत? तहरीर फ़रमाएँ।

जवाबः अगर पानी नुक़सान देता हो और उससे मर्ज़ के बढ़ जाने का अन्देशा हो तो आप वुज़ू की जगह तयम्मुम कर सकती हैं, लेकिन महज़ कम-हिम्मती की वजह से वुज़ू छोड़कर तयम्मुम कर लेना सही नहीं।

ग़ुस्ल के बजाय तयम्मुम कब जायज़ है?

सवालः अगर ग़ुस्ल वाजिब हो जाए और मर्ज़ बढ़ने या बीमार हो जाने की आशंका हो तो क्या उस सूरत में तयम्मुम हो जायेगा और ग़ुस्ल के लिये तयम्मुम का तरीक़ा क्या होगा?

जवाबः सिर्फ़ वहम का एतिबार नहीं। अगर किसी शख़्स की हालत वाक़ई ऐसी हो कि वह गर्म पानी से भी ग़ुस्ल करेगा तो बीमारी बढ़ जाने या बीमार पड़ जाने का ग़ालिब गुमान हो, तो उसको ग़ुस्ल की जगह तयम्मुम की इजाज़त है, और ग़ुस्ल का तयम्मुम वही है जो वुज़ू का तयम्मुम होता है।

डॉक्टर बीमारी की तस्दीक़ कर दे तो तयम्मुम करे

सवालः अगर कोई शख़्स बीमार हो और ग़ुस्ल करने से बीमारी के बढ़ जाने का अन्देशा हो तो वह क्या करे?

जवाबः अगर वाक़ई अन्देशा हो और तबीब (डॉक्टर)

उसकी तस्दीक़ कर दे तो तयम्मुम करे, बशर्ते कि डॉक्टर माहिर हो और दीनदार हो।

गुस्ल के लिए एक ही तयम्मुम काफ़ी है

सवालः आदमी जितने दिन बीमार रहे हर नमाज़ से पहले वुज़ू करने से पहले गुस्ल के तौर पर तयम्मुम ज़रूरी है या एक बार तयम्मुम करना ही काफ़ी होता है?

जवाबः गुस्ल के लिए तयम्मुम सिर्फ़ एक बार कर लेना काफ़ी है, जब तक दोबारा गुस्ल की हाजत पेश न आ जाए।

पानी लगने से मुहासों से ख़ून निकलने पर तयम्मुम जायज़ है

सवालः मेरी उम्र 18 साल है और मेरे तमाम चेहरे पर मुहासे हैं जिनमें ख़ून और पीप है। जब मैं वुज़ू करता हूँ तो चेहरे पर पानी लगने से मुहासों में से ख़ून निकलने लगता है। क्या मैं ऐसी हालत में तमाम वक़्तों में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता हूँ?

जवाबः अगर तकलीफ़ वाक़ई इतनी सख़्त हो जितनी आपने लिखी है और मसह भी नहीं कर सकते तो तयम्मुम जायज़ है।

मुस्तामल पानी के होते हुए तयम्मुम

सवालः मुस्तामल (इस्तेमाल किया हुआ) पानी और ग़ैर-मुस्तामल (बिना इस्तेमाल किया हुआ) पानी जबकि यकजा

जमा हों कोई और पानी वुज़ू के लिये न मिले और मुस्तामल और ग़ैर-मुस्तामल बराबर हों जैसे एक लोटा मुस्तामल हो और एक लोटा ग़ैर-मुस्तामल, अब फ़रमाएँ कि इस सूरत में क्या करें वुज़ू या तयम्मुम?

जवाबः मुस्तामल और ग़ैर-मुस्तामल पानी अगर मिल जाएँ तो ग़ालिब (ज़्यादा और छाये हुए) का एतिबार है। अगर दोनों बराबर हों तो एहतियात के तौर पर ग़ैर-मुस्तामल को मग़लूब (कम और दबा हुआ) क़रार दिया जाएगा और उससे वुज़ू सही नहीं, बल्कि तयम्मुम करना होगा।

रेल गाड़ी में पानी न होने पर तयम्मुम करे

सवालः रेल गाड़ी के सफ़र में अगर वुज़ू के लिए पानी न मिल सके और वक़्त क़ज़ा हो रहा हो तो क्या अ़मल करें?

जवाबः रेल गाड़ी में पानी न मिले तो तयम्मुम कर सकता है, मगर शर्त यह है कि रेल के किसी डब्बे में भी पानी न हो, और एक मील शरई के अन्दर पानी के मौजूद होने का इल्म न हो, जहाँ रेल रुकती हो।

मोज़ों पर मसह

किन मोज़ों पर मसह जायज़ है?

सवालः सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग नाईलून के मोज़ों पर मसह करते हैं, मैंने भी फ़िक़ा (मसाईल) की बाज़ किताबों में पढ़ा है कि हर ऐसे मोज़े पर मसह जायज़ है

जिससे पैर न झलकते हों, मगर बाज़ लोग फिर भी मुख़ालफ़त करते हैं। आप क़ुरआन व हदीस की रोशनी में बताएँ कि किस क़िस्म के मोज़ों पर मसह जायज़ है।

जवाबः ऐसी जुराबों पर मसह जायज़ है जो ख़ूब मोटी हों और किसी चीज़ से बाँधे बग़ैर तीन चार मील उनको पहन कर चल सकता हो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अ़लैहि के नज़दीक उसके लिए एक शर्त यह भी है कि ऐसी जुराबों पर मर्दाना जूते की मिक़्दार का चमड़ा चढ़ा हुआ हो। पस अगर जुराबें पतली हों तो उन पर हमारे फ़ुक़हा में से किसी के नज़दीक मसह जायज़ नहीं। और अगर मोटी हों लेकिन उन पर चमड़ा न चढ़ा हुआ हो तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक मसह जायज़ नहीं, साहिबैन (इमाम मुहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़) के नज़दीक जायज़ है।

मसह करने वाले मोज़े में पाक चमड़ा

सवालः मोज़ों के बारे में हदीसों से साबित है कि उन पर मसह कर लिया जाए। मसला यह है कि उन मोज़ों का जो कि पहन रखे हैं उनका पता कैसे लगाया जाए कि ये हलाल जानवर के हैं या हराम जानवर के, क्या हलाल व हराम दोनों चमड़े से बने हुए मोज़ों पर मसह करने से वुज़ू हो जाता है?

जवाबः खाल दबाग़त (यानी उसको नमक वग़ैरह लगाकर तैयार करने और सुखा लेने) से पाक हो जाती है, और मोज़े पाक चमड़े ही के बनाए जाते हैं, इसलिए इस वस्वसे (वहम) की ज़रूरत नहीं।

हैज़ व निफ़ास

पाकी से मुताल्लिक़ औरतों के मसाईल

दस दिन के अन्दर आने वाला ख़ून हैज़ ही में शुमार होगा

सवालः एक औरत को हर महीने छह या सात दिन हैज़ रहता है लेकिन कभी-कभार 5 दिन गुज़रने के बाद जब सुबह उठती है तो कोई ख़ून वग़ैरह नहीं होता, इस तरह वह गुस्ल कर लेती है लेकिन गुस्ल करने के बाद फिर ख़ून जारी हो जाता है, इसी तरह दूसरे दिन भी होता है। 4-5 घन्टे कुछ नहीं होता है लेकिन उसके बाद फिर ख़ून जारी हो जाता है। पूछना यह है कि जिन दिनों में वक़्फ़ा-वक़्फ़ा से जो ख़ून आता रहा यह हैज़ (माहवारी) में शुमार होगा या इस्तेहाज़ा में? यानी अगर किसी औरत को 5-6 घन्टे या कम व बेश वक़्त के बाद फिर ख़ून जारी हो जाए तो वह हैज़ शुमार होगा या नहीं? दूसरे हर महीने जो दिन मुक़र्रर हैं और उन मुक़र्ररा दिनों के बाद ऐसा हो जाए तो फिर क्या हुक्म है?

जवाबः हैज़ (माहवारी) की कम से कम मुद्दत तीन दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत दस दिन है। हैज़ की मुद्दत के दौरान जो ख़ून आए वह हैज़ ही शुमार होगा, चाहे 3-4 घन्टे के वक़्फ़े ही से आए।

औरत नापाकी के दिनों में नहा सकती है

सवालः मैंने सुना है कि नापाकी के दिनों में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि नहाने से जिस्म जन्नत में दाख़िल नहीं होगा। अगर गर्मी की वजह से सिर्फ़ सर भी धो लिया जाए तो सर जन्नत में दाख़िल नहीं होगा। मसला यह है कि कम से कम सात दिन में नापाकी दूर होती है और गर्मियों में सात दिन बग़ैर नहाये रहना बहुत मुश्किल है, बराहे मेहरबानी आप यह बतायें कि क्या वाक़ई मजबूरी के दिनों में बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए?

जवाबः औरत को नापाकी के दिनों में नहाने की इजाज़त है, और यह नहाना ठंडक के लिए है, तहारत के लिए नहीं। यह किसी ने बिल्कुल झूठ कहा है कि उस हालत में नहाने से जिस्म जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।

हैज़ से पाक होने की कोई आयत नहीं

सवालः हैज़ (माहवारी) के बाद पाक होने की क्या कोई मख़्सूस आयत होती है?

जवाबः नहीं, औरतों में यह जो मशहूर है कि फ़ुलाँ-फ़ुलाँ आयतें या कलिमे पढ़ने से औरत पाक होती है, यह क़तई ग़लत है, नापाक आदमी पानी से पाक होता है आयतों या कलिमों से नहीं।

ख़ास दिनों में मिलने का गुनाह करने पर तौबा व इस्तिग़फ़ार और सदक़ा

सवालः हमने सुना है कि जब औरत को दिन आएँ तो

मर्द को उसके पास जाने की मनाही है, मगर फिर भी अगर मर्द अपने आपको क़ाबू में न रख सके और उससे यह काम सरज़द हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके निकाह में कोई फ़र्क़ आया या नहीं? और यह गुनाह कबीरा (बड़ा) है या सग़ीरा (छोटा) है?

जवाबः ऐसी हालत में बीवी से मिलना जबकि वह माहवारी के दिनों में हो, नाजायज़ व हराम और गुनाहे कबीरा है, तौबा इस्तिग़फ़ार करे और अगर गुन्जाईश हो तो तक़रीबन छह गिराम चाँदी या उसकी क़ीमत सदक़ा करे, वरना तौबा व इस्तिग़फ़ार ही करता रहे, मगर इस नाजायज़ फ़ेल से निकाह में कोई फ़र्क़ नहीं आता।

ख़ास दिनों के दौरान शौहर का छूना

सवालः क्या माहवारी में शौहर अपनी बीवी से मुक़ारबत (सोहबत) या घुटनों से लेकर ज़ेरे नाफ़ के हिस्से को छू सकता है?

जवाबः दिनों की हालत में मियाँ-बीवी वाला काम करना सख़्त हराम है, बल्कि नाफ़ से लेकर घुटनों तक के बदन के हिस्से को शौहर का हाथ लगाना और छूना भी बग़ैर पर्दे के जायज़ नहीं।

इस्लाम में औरत के लिए ख़ास दिनों में रिआयतें

सवालः मजबूरी के दिनों में औरत के हाथ का पका हुआ

खाना जायज़ है या नहीं?

जवाबः ज़माना-ए-जाहिलीयत (नबी पाक के तशरीफ़ लाने से पहले) और ख़ासकर यहूदियों के समाज में औरत मख़्सूस (यानी माहवारी के) दिनों में बहुत नजिस (नापाक) चीज़ समझी जाती थी और उसको एक कमरे में बन्द कर देते थे। न वह किसी चीज़ को हाथ लगा सकती थी न खाना पका सकती थी और न किसी से मिल सकती थी। लेकिन इस्लाम के मोतदिल निज़ाम ने ऐसी कोई चीज़ बाक़ी नहीं रखी, सिवाय रोज़ा नमाज़ और तिलावते कलाम पाक के बाक़ी तमाम चीज़ें उसके लिए जायज़ क़रार दीं, यहाँ तक कि वह अल्लाह का ज़िक्र और दुरूद शरीफ़ और दीगर दुआएँ पढ़ सकती है और सिवाय क़ुरआन के दूसरे वज़ाईफ़ भी अदा कर सकती है। ख़ास दिनों में मियाँ-बीवी वाले काम की इजाज़त नहीं, नमाज़ रोज़ा भी नहीं कर सकती, उसके ज़िम्मे रोज़े की क़ज़ा है, नमाज़ की क़ज़ा नहीं। ग़र्ज़ यह कि उन दिनों में औरत का खाना पकाना कपड़े धोना और दूसरे घरेलू काम करना जायज़ है।

निफ़ास के अहकाम

सवालः निफ़ास किसे कहते हैं? क्या हैज़ की तरह निफ़ास में भी नमाज़ माफ़ हो जाती है या बाद में क़ज़ा पढ़नी पड़ती है? निफ़ास से पाक होने का क्या तरीक़ा है? निफ़ास के दौरान अगर रमज़ान आ जाए तो रोज़ा रखेगी या बाद में क़ज़ा रोज़ा रखेगी?

जवाबः बच्चा पैदा होने के बाद जो ख़ून आता है उसको निफ़ास कहते हैं। जिस तरह हैज़ में नमाज़ माफ़ हो जाती है इसी तरह निफ़ास में नमाज़ माफ़ है, और जिस तरह हैज़ में रोज़ा माफ़ नहीं इसी तरह निफ़ास में भी माफ़ नहीं, बल्कि बाद में क़ज़ा रखना होगा। निफ़ास का (बच्चे की पैदाईश के बाद आने वाला) ख़ून बन्द हो जाने के बाद नहाने से औरत पाक हो जाती है।

निफ़ास वाली औरत के हाथ से खाना पीना

सवालः निफ़ास वाली औरत की जब तक निफ़ास की मुद्दत पूरी न हो उसके हाथ से खाना पीना शरीअत की रू से जायज़ है कि नहीं?

जवाबः जायज़ है।

क्या बच्चे की पैदाईश से कमरा नापाक हो जाता है?

सवालः बच्चे की पैदाईश के बाद माँ और बच्चे को जिस कमरे या घर में रखा जाता है चालीस दिन के बाद उसको अच्छी तरह साफ़ किया जाता है, और उसमें रंग व रोग़न किया जाता है, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता वह घर या कमरा नापाक रहता है? जबकि डायरेक्ट औरत की नापाकी से उस घर या कमरे का ताल्लुक़ भी नहीं होता। आप इस ग़ैर-इस्लामी रस्म का क़ुरआन व हदीस की रू से जवाब इनायत फ़रमाएँ।

जवाबः सफ़ाई तो अच्छी चीज़ है मगर घर या कमरे के नापाक होने का तसव्वुर ग़लत और तवह्हुम-परस्ती (अंधविश्वास) है।

माहवारी के दिनों में मेहंदी लगाना जायज़ है

सवालः अक्सर बड़ी उम्र की औरतों का कहना है कि मेहंदी माहवारी के दिन शुरू होने के बाद यानी दिनों के दौरान मेहंदी न लगाई जाए क्योंकि उस वक़्त तक हाथ पाक नहीं होते जब तक मेहंदी बिल्कुल न उतर जाए। और उनका कहना यह भी है कि अगर दिन शुरू होने से पहले लगाई तो कोई हर्ज नहीं, फिर चाहे लगी हो या न लगी हो पाक हो सकते हैं।

जवाबः औरत के ख़ास दिनों में मेहंदी लगाना शरअ़न् जायज़ है और यह ख़्याल ग़लत है कि माहवारी के दिनों में मेहंदी नापाक हो जाती है।

हैज़ के दौरान पहने हुए कपड़ों का हुक्म

सवालः ख़ास (माहवारी के) दिनों में जो लिबास पहने जाते हैं क्या उन्हें बग़ैर धोये नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं? या सिर्फ़ उन हिस्सों को जहाँ गंदगी लगी हो धो लिया जाए? या तमाम चीज़ें यानी क़मीज़, शलवार, दुपट्टा, चादर, सूईटर, शाल वग़ैरह सब को धोना चाहिए?

जवाबः कपड़े का जो हिस्सा नापाक हुआ है उसे पाक करके पहन सकते हैं, और जो पाक हों उनके इस्तेमाल में

कोई हर्ज नहीं।

औरत को ग़ैर-ज़रूरी बाल लोहे की चीज़ से दूर करना अच्छा नहीं

सवालः क्या औरतों को किसी लोहे की चीज़ से ग़ैर-ज़रूरी बालों को दूर करना गुनाह है?

जवाबः ग़ैर-ज़रूरी बालों के लिए औरतों को चूना पाउडर साबुन वग़ैरह इस्तेमाल करने का हुक्म है, लोहे का इस्तेमाल उनके लिए पसन्दीदा नहीं, मगर गुनाह भी नहीं।

हैज़ के दौरान इस्तेमाल किए हुए फ़र्नीचर वग़ैरह का हुक्म

सवालः उन चीज़ों के पाक करने के बारे में ज़रूर बताईये जिनको हैज़ के दौरान इस्तेमाल कर चुके हैं जैसे सोफ़ा-सेट, नये कपड़े, चारपाई या ऐसी चीज़ें जिनको पानी से पाक नहीं कर सकते हैं?

जवाबः ये चीज़ें इस्तेमाल से नापाक तो नहीं हो जातीं जब तक नजासत (नापाकी और गंदगी) न लगे।

ख़ास दिनों में औरत का ज़बान से क़ुरआन करीम पढ़ना जायज़ नहीं

सवालः हमने बचपन में क़ुरआन पाक नहीं पढ़ा था इसलिए अब पढ़ रहे हैं। हमारी उस्तानी कहती हं कि तुम

क़ुरआन शरीफ़ मख़्सूस दिनों में भी पढ़ा करो, पारे के पेज मैं पलट दिया करूँगी, क्योंकि पढ़ते तो ज़बान से हैं और ज़बान पाक होती है। अब आपसे यह पूछना है कि क्या हम उन दिनों में क़ुरआन शरीफ़ पढ़ सकते हैं?

जवाबः दिनों की हालत में औ़रत का ज़बान से क़ुरआन करीम पढ़ना जायज़ नहीं, इसी तरह जिस मर्द या औ़रत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उसके लिए भी क़ुरआन करीम की तिलावत जायज़ नहीं। आपकी उस्तानी का बताया हुआ मसला सही नहीं। इस हालत में ज़बान खाने पीने के लिए तो पाक होती है मगर तिलावत के हक़ में पाक नहीं। जिस तरह बेवुज़ू आदमी के आज़ा (बदन के हिस्से) तो पाक होते हैं लेकिन जब तक वुज़ू न कर ले नमाज़ के लिए पाक नहीं होते, इसको नजासते हुक्मी कहते हैं। जनाबत (नापाकी) और हैज़ व निफ़ास की हालत में भी ज़बान हुक्मी तौर पर नापाक होती है, हाँ ज़िक्र व तस्बीह और दुआ़ की इस हालत में भी इजाज़त है।

क्या औ़रत मख़्सूस दिनों में ज़बानी क़ुरआन के अलफ़ाज़ पढ़ सकती है?

सवालः "मख़्सूस दिनों" में औ़रत को अगर कुछ क़ुरआनी आयतें याद हों तो क्या वह पढ़ सकती है या नहीं?

जवाबः औ़रतों के मख़्सूस दिनों में क़ुरआन करीम की आयतें पढ़ना जायज़ नहीं, अलबत्ता बतौर दुआ़ के क़ुरआन के

अलफ़ाज़ पढ़ सकती है, इस हालत में हाफ़िज़ औरत को चाहिए कि ज़बान हिलाए बग़ैर ज़ेहन में पढ़ती रहे और कोई लफ़्ज़ भूले तो क़ुरआन मजीद किसी कपड़े के ज़रिये खोलकर देख ले।

हैज़ के दिनों में हदीस याद करना और क़ुरआन का तर्जुमा पढ़ना

सवालः मैं (हदीस की किताब) रियाजुस्सलिहीन अ़रबी जिल्द अव्वल की हदीस पढ़ती और याद करती हूँ। क्या मैं ख़ास दिनों में भी उन अ़रबी हदीसों को पढ़ और याद कर सकती हूँ और क़ुरआन का तर्जुमा बग़ैर अ़रबी पढ़े, बग़ैर हाथ लगाए सिर्फ़ उर्दू तर्जुमा देखकर पढ़ सकती हूँ? और उनको ख़ास दिनों में याद कर सकती हूँ?

जवाबः दोनों मसलों में इजाज़त है।

ख़ास दिनों में इम्तिहान में क़ुरआनी सूरतों का जवाब किस तरह लिखे

सवालः क़ुरआनी सूरतें कोर्स में शामिल हैं, इम्तिहान में उनका मतन, व्याख्या और दूसरी आयतों के हवाले तहरीर करने होते हैं, उन दिनों में यह तहरीर करना कैसा है?

जवाबः तर्जुमा, व्याख्या लिखने की इजाज़त है, मगर आयाते करीमा का मतन न लिखे, आयत का हवाला देकर उसका तर्जुमा लिख दे।

औरतें और उस्तानियाँ ख़ास दिनों में तिलावत किस तरह करें

सवालः 1: औरतें अपने ख़ास दिनों में क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत कर सकती हैं या नहीं?

सवालः 2: बाज़ उस्तानियाँ जो कि क़ायदा, नाज़रा या हिफ़्ज़ की तालीम देती हैं, क्या वे इस वजह से कि बच्चों की तालीम का हर्ज होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत कर सकती हैं? अगर नहीं तो फिर तालीम का सिलसिला किस तरह जारी रखा जाए?

सवालः 3: क्या औरतें अपने ख़ास दिनों में किसी शख़्स की या कैसिट, रेडियो और टेलीवीज़न से तिलवाते क़ुरआन सुन सकती हैं?

जवाबः 1: औरतों के लिए ख़ास दिनों में क़ुरआन करीम की तिलावत और उसको छूना जायज़ नहीं है, चाहे क़ुरआन करीम की एक आयत की तिलावत की जाए या एक आयत से भी कम, हर सूरत में तिलावते क़ुरआन जायज़ नहीं, अलबत्ता क़ुरआन की बाज़ वे आयतें जो कि दुआ और अज़्कार के तौर पर पढ़ी जाती हैं, उनको दुआ या ज़िक्र के तौर पर पढ़ना जायज़ है। जैसे खाना शुरू करते वक़्त "बिस्मिल्लाह" या शुक्राने के लिए "अल्हम्दु लिल्लाह" कहना, इसी तरह क़ुरआन के वे कलिमात जो कि आम बोलचाल में इस्तेमाल में आ जाते हैं, उनका कहना भी जायज़ है।

जवाबः 2: क़ुरआन करीम की तालीम देने वाली उस्तानियों के लिए भी क़ुरआन करीम की तिलावत और क़ुरआन करीम को छूना जायज़ नहीं, बाक़ी यह कि तालीम का सिलसिला किस तरह जारी रखा जाए इसके लिए फ़ुक़हा (दीन के आ़लिमों) ने यह तरीक़ा बताया है कि वे क़ुरआनी आयत कलिमा-कलिमा अलग-अलग करके पढ़ें जैसे अल्हम्दु.......लिल्लाहि.......रब्बिल.........आ़लमीन। इस तरह मुअ़ल्लिमा (उस्तानी) के लिए क़ुरआनी कलिमात के हिज्जे करना भी जायज़ है।

जवाबः 3: औ़रतों के लिए ख़ास दिनों में तिलावते क़ुरआन करीम की मनाही तो हदीस शरीफ़ में आई है, लेकिन क़ुरआन सुनने की मनाही नहीं आई, लिहाज़ा उन ख़ास दिनों में किसी शख़्स से या रेडियो और कैसिट वग़ैरह से तिलावते क़ुरआन सुनना जायज़ है।

हिफ़्ज़ के दौरान नापाकी के दिनों में कुरआन करीम किस तरह याद किया जाए

सवालः क़ुरआन शरीफ़ हिफ़्ज़ करने के दौरान नापाकी की हालत में किसी पेन वग़ैरह की मदद से क़ुरआन पाक के पन्ने पलट कर याद करना जायज़ है कि नाजायज़?

जवाबः औ़रतों के ख़ास दिनों में क़ुरआन करीम का ज़बान से पढ़ना जायज़ नहीं, हाफ़िज़ औ़रत को भूलने का अन्देशा हो तो बग़ैर ज़बान हिलाए दिल में सोचती रहे, ज़बान

से न पढ़े किसी कपड़े वग़ैरह से पन्ने उलटना जायज़ है ।

ख़ास दिनों में क़ुरआनी आयतों वाली कोर्स की किताब पढ़ना और छूना

सवालः हम बारहवीं की छात्रायें हैं और हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ है जिसमें क़ुरआन के शुरू के बारह रुकूअ़ हमारे कोर्स में शामिल हैं। हमारी मुश्किल यह है कि ख़ुदा न करे अगर इम्तिहान के ज़माने में हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो हम इस्लामिक स्टडीज़ की किताब को किस तरह पढ़ सकते हैं? क्योंकि मख़्सूस दिनों में क़ुरआन छूना हराम है और बग़ैर किताब पढ़े हम इम्तिहान नहीं दे सकते, क्योंकि किताब में पूरी तशरीह व तफ़सीर (खुलासा और व्याख्या) होती है जिसे पढ़कर ही इम्तिहान दिया जा सकता है, तो आपसे अ़र्ज़ है कि उन दिनों किस तरह हम उस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं?

जवाबः क़ुरआन मजीद के अलफ़ाज़ को हाथ न लगाया जाये, न उन अलफ़ाज़ को ज़बान से पढ़ा जाये, किताब को हाथ लगाना और पढ़ना जायज़ नहीं।

ख़ास दिनों में इस्लामी किताबों में लिखी आयतें किस तरह पढ़ें

सवालः इस्लामी किताबों में जगह-जगह हवालों के लिए क़ुरआनी आयतें दर्ज हैं, अगर उनका उर्दू तर्जुमा भी न लिखा

हो तो उस हालत में उस क़ुरआनी आयत का पढ़ना कैसा है?

जवाबः क़ुरआन करीम की आयतों को दिल में पढ़ सकती हैं।

हैज़ की हालत में क़ुरआन व हदीस की दुआएँ पढ़ना

सवालः ख़ास दिनों में क़ुरआन पाक की वे सूरतें जो कि रोज़ पढ़ने का मामूल है, ज़बानी याद हों तो क्या पढ़ सकते हैं? और रोज़ाना का 500 मर्तबा दुरूद शरीफ़ पढ़ने का मामूल है। क्या उन दिनों में 500 मर्तबा दुरूद शरीफ़ और चन्द सूरतें ज़बानी पढ़ सकते हैं, और आम तौर पर जो वज़ीफ़े जैसे चेहरे की रोशनी के लिए "अल्लाहु नूरुस्समावाति वल्-अर्ज़ि" अव्वल व आख़िर दुरूद शरीफ़ पढ़ सकते हैं या नहीं?

जवाबः ख़ास दिनों में औरतों को क़ुरआन करीम की तिलावत जायज़ नहीं, क़ुरआन व हदीस की दुआएँ दुआ की नीयत से पढ़ सकती हैं, दूसरे ज़िक्र व अज़कार, दुरूद शरीफ़ पढ़ना जायज़ है।

औरतों का ख़ास दिनों में ज़िक्र करना

सवालः क्या औरतें अपने मख़्सूस दिनों में ज़िक्र कर सकती हैं? जैसे तीसरा कलिमा, दुरूद शरीफ़, इस्तिग़फ़ार, कलिमा तय्यिबा वग़ैरह।

जवाबः क़ुरआन मजीद की तिलावत के अलावा सब ज़िक्र कर सकती हैं।

मख़्सूस दिनों में अ़मलियात करना

सवालः अगर कोई अ़मल इस्लामी महीने की पहली तारीख़ से शुरू किया जाए और वह 21 या 41 दिन तक मुकम्मल करना हो तो क्या हैज़ की हालत में भी अ़मल जारी रखना चाहिए?

जवाबः अगर अ़मल क़ुरआन मजीद की आयत का हो तो माहवारी के दिनों में जायज़ नहीं।

औ़रत सर से उखड़े बालों का क्या करे?

सवालः जब औ़रत सर में कंघा करती है तो औ़रतें कहती हैं कि सर के बाल फेंकना नहीं चाहिए, उनको इकट्ठा करके क़ब्रिस्तान में दबा देना चाहिए?

जवाबः औ़रतों के सर के बाल भी सतर (छुपाने की चीज़) में दाख़िल है, और जो बाल कंघी में आ जाते हैं उनको देखना भी ना-मेहरम को जायज़ नहीं, इसलिए उन बालों को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि किसी जगह दबा देना चाहिए।

नाखुन-पालिश की बला

नाखुन-पालिश लगाना काफ़िरों की पैरवी है, इससे न वुज़ू होता है न गुस्ल न नमाज़

सवालः आजकल नौजवान लड़कियाँ इस कश्मकश (दुविधा) में मुब्तला हैं कि आया लड़कियाँ जो नाखुनों को पालिश लगाती हैं उसको साफ़ करने के बाद वुज़ू करें या पालिश के ऊपर से ही वुज़ू हो जाएगा? कई समझदार और तालीम-याफ़्ता लड़कियाँ और मुअ़ज़्ज़ज़ नमाज़ी औरतें यह कहती हैं कि नाखुनों की पालिश साफ़ किए बग़ैर ही वुज़ू हो जाएगा।

जवाबः नाखुनों से मुताल्लिक़ दो बीमारियाँ औरतों में खुसूसन नौजवान लड़कियों में बहुत ही आ़म होती जा रही हैं- एक नाखुन बढ़ाने का मर्ज़ और दूसार नाखुन पालिश का। नाखुन बढ़ाने से आदमी के हाथ बिल्कुल दरिन्दों जैसे होते हैं और फिर उनमें गन्दगी भी रह सकती है, जिससे नाखुनों में जरासीम (कीटाणु) पैदा होते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेती हैं।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दस चीज़ों को "फ़ितरत" में शुमार किया है उनमें एक नाखुन तराशना भी है। पस नाखुन बढ़ाने का फ़ैशन इनसानी फ़ितरत के ख़िलाफ़

है जिसको मुस्लिम औरतें काफ़िरों की पैरवी में अपना रही हैं। मुस्लिम औरतों को इस ख़िलाफ़े फ़ितरत पैरवी से परहेज़ करना चाहिए।

दूसरा मर्ज़ नाख़ुन पालिश का है। हक़ तआ़ला शानुहू ने औरत के आज़ा (बदनी अंगों) में फ़ितरी हुस्न रखा है, नाख़ुन पालिश का बनावटी और नक़ली लबादा (लिबास और जुब्बा) बिल्कुल ग़ैर-फ़ितरी चीज़ है, फिर उसमें नापाक चीज़ों की मिलावट भी होती है, वही नापाक हाथ खाने वग़ैरह में इस्तेमाल करना तबई कराहत की चीज़ है। और सबसे बढ़कर यह कि नाख़ुन पालिश की तह जम जाती है और जब तक उसको साफ़ न कर दिया जाए पानी नीचे नहीं पहुँच सकता।

पस न वुज़ू होता है न गुस्ल, आदमी नापाक का नापाक रहता है। जो तालीम-याफ़्ता (पढ़ी-लिखी) लड़कियाँ और बड़े घर की नमाज़ी औरतें यह कहती हैं कि नाख़ुन पालिश को साफ़ किए बग़ैर ही वुज़ू हो जाता है, वे ग़लत-फ़हमी में मुब्तला हैं, उसको साफ़ किए बग़ैर आदमी पाक नहीं होता, न नमाज़ होगी न तिलावत जायज़ होगी।

नाख़ुन पालिश वाली मय्यित की पालिश साफ़ करके गुस्ल दें

सवालः अगर कहीं मौत आ गई तो नाख़ुन पालिश लगी हुई औरत की मय्यित का गुस्ल सही हो जाएगा या नहीं?

जवाबः उसका गुस्ल सही नहीं होगा, इसलिए नाख़ुन

पालिश साफ़ करके गुस्ल दिया जाए।

नील पालिश और लिपिस्टिक के साथ नमाज़

सवालः चन्द रोज़ पहले हमारे घर "आयते करीमा" का ख़त्म था, जिसमें चन्द रिश्तेदार औ़रतें आईं, जिनमें कुछ फ़ैशन में मलबूस थीं। फ़ैशन से मुराद नाखुन में पालिश बदन में प्रफ़्यूम, होंठों में लिपिस्टिक वग़ैरह था, जब नमाज़ का वक़्त हुआ तो नमाज़ के लिए खड़ी हो गईं। जब उनसे कहा गया कि इन चीज़ों से वुज़ू नहीं रहता तो नमाज़ कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तआ़ला नीयत देखता है।

मौलाना साहिब! क्या नील पालिश, प्रफ़्यूम लिपिस्टिक वग़ैरह से वुज़ू बरक़रार रहता है? क्या इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के बाद नमाज़ हो जाती है? बराहे मेहरबानी तफ़सील से जवाब दें, नवाज़िश होगी।

जवाबः ख़ुदा तआ़ला सिर्फ़ नीयत को नहीं देखता बल्कि यह भी देखता है कि जो काम किया गया वह उसकी शरीअ़त के मुताबिक़ भी है या नहीं? जैसे कोई शख़्स बेवुज़ू नमाज़ पढ़े और यह कहे कि ख़ुदा नीयत को देखता है तो उसका यह कहना ख़ुदा और रसूल का मज़ाक़ उड़ाने के बराबर होगा, और ऐसे शख़्स की इबादत, इबादत ही नहीं रहती। इसलिए फ़ैशन-ऐबल औ़रतों का यह दलील पकड़ना बिल्कुल मोहमल और बेकार है कि ख़ुदा नीयत को देखता है। नाख़ुन पालिश और लिपिस्टिक अगर बदन तक पानी को न पहुँचने दे तो वुज़ू नहीं होगा और जब वुज़ू न हुआ तो नमाज़ भी न हुई।

नाख़ुन पालिश को मोज़ों पर क़ियास करना सही नहीं

सवालः जिस तरह वुज़ू करके मोज़े पहन लिये जाएँ तो दूसरे वुज़ू के वक़्त पाँव धोने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ जुराब के ऊपर मसह कर लिया जाता है, इसी तरह वुज़ू करके नाखुन पालिश लगा ली जाए तो दूसरे वुज़ू के करते वक़्त उसे छुड़ाने की ज़रूरत तो नहीं है?

जवाबः चमड़े के मोज़ों पर मसह सब उलेमा और इमामों के नज़दीक जायज़ है। जुराबों पर मसह इमाम अबू हनीफ़ा रह0 के नज़दीक जायज़ नहीं, और नाखुन पालिश को मोज़ों पर क़ियास करना सही नहीं। इसलिए अगर नाखुन पालिश लगी हो तो वुज़ू और गुस्ल नहीं होगा।

नाख़ुन पालिश और लबों की सुर्ख़ी का गुस्ल और वुज़ू पर असर

सवालः जैसा कि नाख़ुन पालिश लगाने से वुज़ू नहीं होता, अगर कभी होंठों पर हल्की लाली लगी हो तो क्या वुज़ू हो जाएगा? अगर वुज़ू के बाद लगाई जाए तो उससे नमाज़ दुरुस्त है या नहीं?

जवाबः नाखुन पालिश लगाने से वुज़ू और गुस्ल इसलिए नहीं होता कि नाख़ुन पालिश पानी को बदन तक पहुँचने नहीं देती, लबों की सुर्ख़ी में भी अगर यही बात पाई जाती है कि

वह पानी के खाल तक पहुँचने में रुकावट हो तो उसको उतारे बग़ैर ग़ुस्ल और वुज़ू नहीं होगा। और अगर वह पानी के पहुँचने से रुकावट नहीं तो ग़ुस्ल और वुज़ू हो जाएगा। हाँ अगर वुज़ू के बाद नाख़ुन पालिश या सुर्ख़ी लगा कर नमाज़ पढ़े तो नमाज़ हो जाएगी लेकिन इससे बचना बेहतर है।

ख़ुशी से या जबरन नाख़ुन पालिश लगाने के मसाईल

सवालः मैंने ग़ुस्ल के फ़राईज़ में पढ़ा है कि सारे जिस्म पर पानी इस तरह बहाया जाए कि जिस्म का कोई हिस्सा बाल बराबर भी ख़ुश्क न रहे। आजकल यह बात आ़म फ़ैशन में आ गई है कि हमारे घरों में औ़रतें नाख़ुनों पर पालिश करती हैं जो ज़्यादा गाढ़ी होती है और नाख़ुनों पर उसकी एक तह जम जाती है और ऐसे ही बाज़ मर्द हज़रात रंग का काम करते हैं जो जिस्म के किसी हिस्से पर लग जाए तो आसानी से नहीं उतरता। ऐसी सूरत में ऐसे मर्द और औ़रतें ग़ुस्ले जनाबत से पाकी हासिल कर सकते हैं या नहीं? इस्लाम ने औ़रत को अपने शौहर के सामने ज़ीनत बनाव-सिंघार की इजाज़त दी है, क्या नाख़ुन पालिश लगाना जायज़ है? अगर नाजायज़ है तो ऐसी हालत में औ़रत के लिए नमाज़, तिलावते क़ुरआन और खाने पीने के लिए क्या हुक्म है?

जवाबः नाख़ुन पालिश की अगर तह जम गई हो तो उसको छुड़ाए बग़ैर वुज़ू नहीं होगा, यही हुक्म और चीज़ों का है जो पानी के बदन तक पहुँचने से रोक हैं।

सवालः अगर शौहर को ख़ुश करने के लिए नाख़ुन पालिश लगाई जाए और शौहर न लगाने पर सख़्ती करे तो ऐसी औरत के लिए क्या हुक्म है? अगर इस्लामी तालीमात की रू से नाख़ुन पालिश लगाना गुनाह है तो यह गुनाह किसके सर पर है? बीवी पर या शौहर पर? अगर यह बात गुनाह है तो इस गुनाह को गुनाह समझाने के लिए यह ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है शौहर या बीवी पर? हुकूमत के पास मीडिया है उसके ज़रिये अगर इसका प्रचार किया जाए तो कैसा रहेगा?

जवाबः अगर नाखुन पालिश लगाने से नमाज़ें ग़ारत होती हैं और शौहर बावजूद इल्म के उससे मना न करे तो मर्द औरत दोनों गुनाहगार होंगे। अगर शौहर को खुश करने के लिए नाखुन पालिश लगा ले तो वुज़ू करने से पहले उसको छुड़ाए और फिर वुज़ू करके नमाज़ पढ़े, वरना नमाज़ नहीं होगी।

क्या बनावटी दाँत और नाखुन पालिश के साथ ग़ुस्ल सही है

सवालः किसी मुसलमान मर्द या औरत के सोने के दाँत या नाखुन पालिश लगाने की सूरत में गुस्ल हो जाता है या नहीं?

जवाबः मसनूई (नक़ली और बनावटी) दाँतों के साथ गुस्ल हो जाता है, उनको उतारने की ज़रूरत नहीं। नाखुन

पालिश लगी हुई हो तो ग़ुस्ल नहीं होता, जब तक उसे उतार न दिया जाए।

औरतों के लिए किस क़िस्म का मैकअप जायज़ है?

सवालः हमारी औरतें इस बात पर बहस करती हैं कि इनसान अपनी ख़ूबसूरती के लिए मैक्रअप कर सकता है। मालूम यह करना है कि मज़हब इस्लाम की रू से क्या औरतों को यह बात शोभा देती है कि वे बहैसियत मुसलमान मैकअप करें जिसमें सुर्ख़ी पॉउडर नील पालिश शामिल हैं। क्या इस हालत में दीनी बयान की महफ़िल में शिर्कत करना, क़ुरआन-ख़्वानी और नमाज़ वग़ैरह पढ़ना सही है?

जवाबः औरत के लिए ऐसा मैकअप करना जिससे अल्लाह तआला की क़ुदरती बनावट में तब्दीली करने की कोशिश हो जायज़ नहीं, जैसे अपने फ़ितरी और पैदाईशी बालों के साथ दूसरे इनसानों के बालों को मिलाना। हाँ इनसानों के अलावा दूसरे मसनूई (नक़ली) बालों को मिलाना जायज़ है। उसके अलावा मैकअप फ़ितरी बनावट और पैदाईश में रद्दोबदल करने के बराबर न हो, वह उस सूरत में जायज़ है जबकि उस मैकअप के साथ औरत ग़ैर-मेहरम मर्दों के सामने न जाए। चुनाँचे इस क़िस्म के मैकअप में सुर्ख़ी पॉउडर शामिल है हाँ यह ज़रूर है कि नाखुन पालिश से बचा जाए। क्योंकि नाखुन पालिश दूर किए बग़ैर न वुज़ू होता है और न

ही गुस्ल, नाखुन पालिश को हर वुज़ू के लिए हटाना एक मुश्किल काम है और जब नाखुन पालिश को हटाए बग़ैर वुज़ू या गुस्ल सही न होगा तो नमाज़ भी न होगी, इसलिए नाखुन पालिश की लानत से बचना लाज़िम है।

पाकी और नापाकी में तिलावत, दुआ़ व अज़्कार

नापाकी और बेवुज़ू होने की हालत में क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना

सवालः नापाकी की हालत में या बग़ैर वुज़ू के क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत की जा सकती है या नहीं?

जवाबः अगर गुस्ल की ज़रूरत हो तो न क़ुरआन शरीफ़ को हाथ लगाना (छूना) जायज़ है और न पढ़ना ही जायज़ है, और बग़ैर वुज़ू के हाथ लगाना जायज़ नहीं अलबत्ता पढ़ना जायज़ है।

नापाकी की हालत में क़ुरआनी आयतों का तावीज़ इस्तेमाल करना

सवालः हमने सुना है कि आदमी अगर नापाक हो तो उसको क़ुरआनी आयतें तावीज़ बनाकर नहीं पहननी चाहिएँ

यह बात दुरुस्त है या ग़लत?

जवाबः सिज कागज़ पर आयत लिखी हो नापाकी की हालत में उसको छूना जायज़ नहीं, लेकिन कपड़े वग़ैरह में लिपटा हो तो छूना जायज़ है। इससे मालूम हुआ कि नापाकी की हालत में तावीज़ पहनना जायज़ है, जबकि वह कागज़ में लिपटा हुआ हो।

गुस्ल लाज़िम होने पर किन चीज़ों का पढ़ना जायज़ है

सवालः अगर गुस्ल लाज़िम हो तो क्या तस्बीह जैसे दुरूद शरीफ़ कलिमा तय्यिबा इस्तिग़फ़ार वग़ैरह पढ़ सकते हैं?

जवाबः इस हालत में क़ुरआन करीम की तिलावत जायज़ नहीं, ज़िक्र व दुआ, दुरूद शरीफ़ वग़ैरह सब जायज़ है।

क़ुरआनी आयतों और हदीस वाले मज़मून को बेवुज़ू छूना

सवालः दीन इस्लाम की किताबों और रिसालों में जहाँ-जहाँ (कहीं-कहीं) क़ुरआन मजीद की आयतें और हदीसें अक्सर लिखी होती हैं ऐसी किताबों और ऐसे रिसालों को बेवुज़ू छूना और पढ़ना कैसा है?

जवाबः जायज़ है मगर आयाते करीमा पर हाथ न लगे।

पत्ती वाला पान खाकर क़ुरआन शरीफ़ पढ़ सकता है

सवालः पत्ती वाला पान खाकर क़ुरआन शरीफ़ पढ़ सकता है या नहीं?

जवाबः पढ़ सकता है, अलबत्ता बदबूदार चीज़ खाकर तिलावत करना मक्रूह है।

गुस्ल फ़र्ज़ होने पर इस्मे आज़म का विर्द

सवालः गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत में इस्मे आज़म या किसी सूरत का विर्द किया जा सकता है या नहीं? और तिलावत भी की जा सकती है या नहीं?

जवाबः जब गुस्ल फ़र्ज़ हो तो क़ुरआन करीम की तिलावत जयाज़ नहीं, दूसरे अज़्कार जायज़ हैं।

बेवुज़ू क़ुरआन छूना और खाते हुए तिलावत करना

सवालः क्या क़ुरआन बेवुज़ू पढ़ना जायज़ है? अगर तिलावत के दौरान वुज़ू हो लेकिन मुँह से कुछ खा भी रहे हों तो क्या तिलावत हो जाती है?

जवाबः बेवुज़ू तिलावत जायज़ है, क़ुरआन मजीद को हाथ न लगाया जाए। खाते हुए तिलावत करना ख़िलाफ़े अदब है।

बग़ैर वुज़ू तिलावते क़ुरआन का सवाब

सवालः आपने एक सवाल के जवाब में तहरीर फ़रमाया है कि क़ुरआन हकीम को बग़ैर वुज़ू छूते नहीं और क़ुरआन करीम में देख कर पढ़ना बिना वुज़ू भी मना (वर्जित) है। अलबत्ता बग़ैर देखे बिना वुज़ू पढ़ सकते हैं। इस तरह तिलावत का सवाब है या नहीं?

जवाबः बग़ैर वुज़ू के क़ुरआन को हाथ लगाना मना है, तिलावत करना मना नहीं। अगर हाथ पर कोई कपड़ा लपेट कर या किसी चाक़ू वग़ैरह के ज़रिये क़ुरआन करीम के पन्ने उलटता रहे तो देखकर भी पढ़ सकता है, तिलावत का सवाब इस सूरत में भी मिलेगा, सवाब में कमी-बेशी और बात है।

बग़ैर वुज़ू के दुरूद शरीफ़ पढ़ सकते हैं

सवालः क्या बग़ैर वुज़ू के चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ़ का विर्द कर सकते हैं? जबकि ख़ुदा का ज़िक्र तो हर हाल में जायज़ है, तो ज़िक्रे हबीब भी जायज़ होना चाहिए। ज़रा वज़ाहत फ़रमा दें क्योंकि मैंने लोगों से सुना है कि बग़ैर वुज़ू के दुरूद शरीफ़ न पढ़ा जाए। फ़र्ज़ करें अगर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम मुबारक आ जाए तो अगर बग़ैर वुज़ू के हों तो क्या दुरूद न पढ़ें? हालाँकि नाम मुबारक पर तो दुरूद पढ़ना वाजिब है।

जवाबः बग़ैर वुज़ू के दुरूद शरीफ़ का विर्द जायज़ है, और वुज़ू के साथ तो सोने पर सुहागा है।

बेवुज़ू अल्लाह का ज़िक्र

सवालः एक आदमी दफ़्तर में बैठा है और बिल्कुल तन्हा है, और फ़ारिग़ है। कई बार पेशाब वग़ैरह के लिए भी आ जाता है और हाथ वग़ैरह सही तरीक़े से धोता है मगर मुकम्मल वुज़ू किसी वजह से नहीं करता, या ग़फ़लत समझ लें। तो इस हालत में फ़ारिग़ वक़्त में क्या वह अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र और नबी पाक का ज़िक्र या कोई और आयते करीमा वग़ैरह का विर्द कर सकता है या नहीं?

जवाबः ज़िक्रे इलाही के लिए वुज़ू होना शर्त नहीं, बग़ैर वुज़ू के तस्बीहात पढ़ सकते हैं, हाँ वुज़ू के साथ ज़िक्र करना अफ़ज़ल है।

लैट्रीन में कलिमा ज़बान से पढ़ना जायज़ नहीं

सवालः बैतुल्ख़ला (लैट्रीन) में इस्तिन्जे के वक़्त भी कलिमा तय्यिबा पढ़ना चाहिए या नहीं?

जवाबः बैतुल्ख़ला में ज़बान से पढ़ना जायज़ नहीं।

लैट्रीन में दुआ़ ज़बान से नहीं बल्कि दिल में पढ़े

सवालः अगर कोई शख़्स बैतुल्ख़ला (लैट्रीन) में दाख़िल होने से पहले दुआ़ और बायें पाँव को दाख़िल करना भूल जाए और अन्दर जाकर याद आ जाए तो क्या करना चाहिए?

जवाबः ज़बान से न पढ़े दिल में पढ़ ले।

लफ़्ज़ "अल्लाह" वाला लॉकिट पहनकर लैट्रीन जाना

सवालः ऐस लॉकिट जिन पर लफ़्ज़ "अल्लाह" लिखा या खुदा हुआ होता है, उन्हें हर वक़्त गले में पहने रहना और पहन कर बाथरूम वग़ैरह में जाना जायज़ है या नहीं? क्या इस तरह ख़ुदा तआला के नाम की बेअदबी नहीं होती?

जवाबः लैट्रीन में जाने से पहले उनको उतार देना चाहिए।

मैदान में क़ज़ा-ए-हाजत से पहले दुआ कहाँ पढ़े

सवालः शहरों में तो बैतुलख़ला होते हैं मगर देहात में नहीं होते, देहात में खुली जगह में क़ज़ा-ए-हाजत (पाख़ाने की ज़रूरत पूरी करने) के लिए जाए तो दुआ पढ़नी चाहिए या नहीं?

जवाबः बैतुलख़ला (लैट्रीन) में क़दम रखने से पहले और जंगल में सतर खोलने से पहले दुआ पढ़ी जाए।

नापाकी की हालत में नाख़ुन काटना

सवालः नापाकी की हालत में अगर नाखुन काट लिए जायें तो क्या जब तक वे बढ़ाकर दोबारा न काटे जाएँ पाक न हो सकेंगे?

जवाबः नापाकी की हालत में नाखुन नहीं उतारने चाहिएँ मगर यह ग़लत है कि जब तक नाखुन न बढ़ जाएँ आदमी पाक नहीं होता।

नजासत और पाकी के मसाईल

नजासते ग़लीज़ा और नजासते ख़फ़ीफ़ा की परिभाषा

सवालः मैंने बड़ों से सुना है कि अगर तीन हिस्से बदन के कपड़े नापाक हों और एक हिस्सा पाक हो तब भी नमाज़ क़बूल हो जाती है क्या यह सही है?

जवाबः जी नहीं....... मसला समझने समझाने में ग़लती हुई है। दर असल यहाँ दो मसले अलग-अलग हैं एक यह कि कपड़े को नजासत (नापाकी) लग जाए तो किस हद तक माफ़ है, इसका जवाब यह है कि नजासत की दो क़िस्में हैं 'ग़लीज़ा' और 'ख़फ़ीफ़ा'।

नजासते ग़लीज़ा....... जैसे आदमी का पाख़ाना, पेशाब, शराब, जानवरों का गोबर और हराम जानवरों का पेशाब वग़ैरह। ये सब सय्याल (बहने वाली) हो तो एक रुपये के फैलाव की मात्रा में माफ़ है। और अगर गाढ़ी हो तो पाँच माशे वज़न तक माफ़ है, इससे ज़्यादा हो तो नमाज़ नहीं होगी।

नजासते ख़फ़ीफ़ा...... जैसे (हलाल जानवरों का पेशाब) कपड़े के चौथाई हिस्से तक माफ़ है, चौथाई कपड़े से मुराद कपड़े का वह हिस्सा है जिस पर नजासत लगी हो, जैसे आसतीन अलग शुमार होगी, दामन अलग शुमार होगा, और माफ़ होने का मतलब यह है कि उसी हालत में नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो जाएगी दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उस नजासत का दूर करना और कपड़े का पाक करना बहरहाल ज़रूरी है।

और दूसरा मसला यह है कि अगर किसी के पास पाक कपड़ा न हो और नापाक कपड़े को पाक करने की भी कोई सूरत न हो तो आया नापाक कपड़े के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए या कपड़ा उतार कर नंगा होकर नमाज़ पढ़े? उसकी तीन सूरतें हैं- अव्वल यह कि वह कपड़ा एक चौथाई पाक है और तीन चौथाई नापाक है, ऐसी सूरत में उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, नंगे होकर पढ़ने की इजाज़त नहीं। दूसरी सूरत यह है कि कपड़ा चौथाई से कम पाक हो उस सूरत में इख़्तियार है कि चाहे उस नापाक कपड़े के साथ नमाज़ पढ़े या कपड़ा उतार कर बैठकर रुकूअ़ सज्दे के इशारे से नमाज़ पढ़े।

तीसरी सूरत यह है कि कपड़ा कुल का कुल नापाक हो तो उस सूरत में नापाक कपड़े के साथ नमाज़ न पढ़े बल्कि कपड़ा उतार कर नमाज़ पढ़े, लेकिन नंगे आदमी को बैठकर नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, रुकूअ़ सज्दे की जगह इशारा करे ताकि जहाँ तक मुम्किन हो सतर छुपा सके। ग़र्ज़ यह कि

आपने जो मसला बुज़ुर्गों (बड़ों) से सुना है वह यह है कि आदमी के पास पाक कपड़ा न हो बल्कि सिर्फ़ एक ऐसा कपड़ा हो जिसके तीन हिस्से नापाक हों और एक हिस्सा पाक हो तो उसी कपड़े से नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है।

कितनी नजासत लगी रह गई तो नमाज़ हो गई?

सवालः अगर गन्दे पानी के छींटे लग जाएँ तो धो लेना चाहिए। मगर एक साहिब यह फ़रमाते हैं कि अगर एक रुपया के सिक्के जितना गोल निशान हो तो नहीं धोना चाहिए। अगर उससे बड़े हों तो धोना चाहिए। जवाब देकर आभारी फ़रमाएँ।

जवाबः आपको मसला समझने में ग़लती हुई है। मसला यह है कि कपड़े को गन्दे पानी के या किसी और नजासत के छींटे लगे हुए थे और बेख़्याली में नमाज़ पढ़ ली तो यह देखेंगे कि अगर रुपया के सिक्के जितना गोल निशान था या इससे भी कम था तो नमाज़ हो गई, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं। और अगर उससे ज़्यादा था तो नमाज़ नहीं हुई दोबारा लौटानी पड़ेगी। यह मतलब नहीं कि अगर नजासत थोड़ी हो तो उसको धोना नहीं चाहिए।

देर तक क़तरे आने वाले के लिए तहारत का तरीक़ा

सवालः आजकल नये दौर की वजह से लैट्रीन में फ़राग़त के बाद पानी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर वुज़ू कर

लिया जाता है, मगर जब पेशाब किसी खुली जगह पर किया जाता है और इस्तिन्जे के लिए मिट्टी के ढेले इस्तेमाल किए जाते हैं तो काफ़ी देर तक पेशाब के क़तरे आते रहते हैं। तो फिर क्या पानी से इस्तिन्जा कर लेना और वुज़ू बना लेना दुरुस्त होगा? हालाँकि प्रबल गुमान है कि पेशाब के क़तरे बाद में भी आए होंगे।

जवाबः जिस शख़्स को यह मर्ज़ हो कि देर तक उसे क़तरे आते रहते हैं, उसे पानी के साथ इस्तिन्जा करने से पहले ढेले या टिशू का इस्तेमाल लाज़िम है, जब इत्मीनान हो जाए तब पानी से इस्तिन्जा करे।

हवा निकलने के साथ अगर नजासत निकल जाए तो वुज़ू से पहले इस्तिन्जा करे

सवालः नमाज़ में अगर हवा ख़ारिज हो तो बग़ैर तहारत किए दूसरा वुज़ू करके नमाज़ पढ़नी जायज़ है या नहीं? अगर नमाज़ के बाहर हवा ख़ारिज होती रहे तो क्या तहारत वाजिब है या सिर्फ़ वुज़ू करके नमाज़ पढ़ लेनी जायज़ है, तहारत न करे?

जवाबः हवा ख़ारिज होने से सिर्फ़ वुज़ू लाज़िम आता है, इस्तिन्जा करना सही नहीं, अलबत्ता अगर हवा के साथ नजासत निकल गई हो तो इस्तिन्जा किया जाए।

सोकर उठने के बाद हाथ धोना

सवालः मैंने बहिश्ती ज़ेवर में यह पढ़ा था कि आदमी

सुबह सोकर उठता है तो उसके हाथ नापाक होते हैं और उसको हाथ पाक किए बग़ैर कोई नम चीज़ नहीं पकड़नी चाहिए। पूछना यह था कि अगर आदमी के हाथ पसीने से भीगे हुए या नम हों या उसने सोते में या नींद में जिस्म के ऐसे हिस्से को हाथ लगाया जो पसीने से भीगा हुआ या नम हो तो क्या ऐसी सूरत में भी वह और उसका जिस्म नापाक हो जाएँगे?

मोहतरम! मुझे पसीना कुछ ज़्यादा ही आता है और ख़ास तौर पर सोने में, किसी एक करवट पड़े रहने में वह हिस्सा भीग जाता है। अब मैं अपने हाथ से जो पसीने से नम होते हैं अपना मुँह भी खुजाता हूँ और चादर भी ठीक करता हूँ। ग़र्ज़ जिस्म को कपड़ों को बिस्तर को हाथ लगाता हूँ।

जवाबः आपने बहिश्ती ज़ेवर के जिस मसले का हवाला दिया है वह यह हैः

मसलाः जब सोकर उठे तो जब तक गट्टे तक हाथ न धो ले तब तक हाथ पानी में न डाले चाहे हाथ पाक हो और चाहे नापाक हो।

आपने बहिश्ती ज़ेवर का हवाला देने में दो ग़लतियाँ की हैं- एक यह कि जब आदमी सोकर उठता है तो उसके हाथ नापाक होते हैं, हालाँकि बहिश्ती ज़ेवर के ऊपर ज़िक्र हुए मसले में सोकर उठने वाले के हाथों को नापाक नहीं कहा गया।

दूसरी ग़लती यह कि आपने लिखा कि "हाथ पाक किए बग़ैर कोई चीज़ नहीं पकड़नी चाहिए" हालाँकि बहिश्ती ज़ेवर

के ऊपर ज़िक्र हुए मसले में यह लिखा है कि "हाथ चाहे पाक हों या नापाक उनको पानी के बरतन में नहीं डालना चाहिए न यह कि किसी चीज़ को पकड़ना नहीं चाहिए"। सोने से पहले अगर बदन पाक था और नींद में जनाबत (नापाकी) की वजह से नापाक नहीं हुआ तो पसीना आने से न बदन नापाक होता है और न सोने वाले के हाथ नापाक होते हैं, लेकिन नींद से उठकर जब तक हाथ न धोए जाएँ उनको पानी के बरतन में नहीं डालना चाहिए।

वुज़ू के पानी के क़तरे नापाक नहीं होते

सवालः वुज़ू करने के बाद मस्जिद में दाख़िल होते हैं तो फ़र्श पर वुज़ू के पानी के क़तरे गिरते हैं, क्या उससे गुनाह मिलता है, क्या यह सही है कि नमाज़ की जगह पर पानी के क़तरे नहीं गिरने चाहिएँ?

जवाबः जी नहीं यह मसला सही नहीं, वुज़ू के क़तरे नापाक नहीं होते।

वुज़ू के छींटों से हौज़ नापाक नहीं होता

सवालः बाज़ लोगों से सुना है कि वुज़ू के पानी के छींटों से बचना चाहिए क्योंकि गिरने वाला पानी नापाक हो जाता है, जबकि बाज़ मस्जिदों में बड़े हौज़ होते हैं वुज़ू करते वक़्त वुज़ू का पानी हौज़ में गिरता है, इस सूरत में पानी नापाक हो जाता है या नहीं?

जवाबः हौज़ से वुज़ू करते वक़्त एहतियात से काम लेना

चाहिए ताकि छींटे हौज़ पर न गिरें, लेकिन उन छींटों से हौज़ नापाक नहीं होता।

ज़ुकाम में नाक से निकलने वाला पानी पाक है

सवालः नज़ले और ज़ुकाम की वजह से जो पानी नाक से ख़ारिज होता है वह पाक है या नहीं? अगर पाक है तो किस दलील के तहत, और नापाक है तो किस दलील की वजह से?

जवाबः नज़ले और ज़ुकाम की वजह से जो पानी नाक से बहता है वह नजिस और नापाक नहीं है, क्योंकि यह किसी ज़ख़्म से ख़ारिज नहीं होता, न किसी ज़ख़्म पर से गुज़र कर आता है। यही वजह है कि उससे वुज़ू नहीं टूटता।

दूधपीते बच्चे का पेशाब नापाक है

सवालः दूधपीता बच्चा अगर कपड़ों पर पेशाब कर दे तो कपड़ों को धोना चाहिए या कि वैसे पानी गिरा देने से साफ़ हो जाएँगे?

जवाबः बच्चे का पेशाब नापाक है इसलिए कपड़े का पाक करना ज़रूरी है, और पाक करने के लिए इतना काफ़ी है कि पेशाब की जगह पर इतना पानी बहा दिया जाए कि उतने पानी से वह कपड़ा तीन मर्तबा भीग सके।

बच्चे का पेशाब पड़ने पर कहाँ तक चीज़ पाक हो सकती है

सवालः अगर मिट्टी के बरतन पर बच्चा पेशाब कर दे तो

क्या उस बरतन को तोड़ देना चाहिए या नहीं? अक्सर यह देखा गया है कि किसी मामूली ग़िज़ा पर बच्चा पशाब कर दे तो लोग उसे ज़ाया कर देते हैं लेकिन अगर ग़िज़ा क़ीमती हो तो धोकर खा लेते हैं, हालाँकि पेशाब लाज़िमी तौर पर ग़िज़ा की गहराई तक गया होगा, ऐसे मौक़ों पर क्या हुक्म है?

जवाबः मिट्टी का बरतन तीन मर्तबा धोने से पाक हो जाएगा यानी इस तरह धोए कि हर बार पानी टपकना बन्द हो जाए। जिस ग़िज़ा पर बच्चा पेशाब कर दे उसका खाना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता उसे ऐसी जगह रख दिया जाए कि कोई जानवर खुद आकर खा ले।

एक मशीन पर ग़ैर-मुस्लिमों के कपड़ों के साथ धुलाई

सवालः कपड़े धोने की मशीन मुश्तरका (संयुक्त) तौर पर कम्पनी की तरफ़ से मिली है, जिस पर अक्सर ग़ैर-मुस्लिम कपड़े धोते हैं। अगर किसी वक़्त कोई मुसलमान भी उस मशीन पर कपड़े धोये तो क्या मुसलमान के लिए उन कपड़ों में नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं?

जवाबः ग़ैर-मुस्लिमों के कपड़े धोने से तो कुछ नहीं होता आप जब कपड़े धो लें तो उनको तीन बार पानी में निकाल कर हर बार ख़ूब निचोड़ लिया करें, पाक हो जाएँगे।

ड्राई-क्लीन के धुले कपड़ों का हुक्म

सवालः यहाँ गर्म कपड़े धोने की जो दुकानें और फ़ैक्ट्रीयाँ

हैं जिन्हें ड्राई-क्लीन कहते हैं, वे ख़ास क़िस्म की मशीन होती हैं। उनमें पैट्रोल की क़िस्म का ख़ास सय्याल (बहने वाला) माद्दा (मैटेरियल) डाला जाता है जो कि उन कपड़ों को धोता है वह माद्दा एक दफ़ा नया डालकर बार-बार उसी को साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। एक दो हफ़्ते के बाद नया डाला जाता है, इस दौरान दसयों बार उस मशीन में कपड़े डाले जाते हैं।

अब पूछने की बात यह है कि आया इस तरह धुले हुए कपड़े पाक होंगे या नापाक? चूँकि उसमें हर क़िस्म के कपड़े पाक व नापाक डाले जाते हैं, और उन मशीनों को पानी से कभी भी धोया नहीं जाता। इसलिए शुब्हा होता है कि उसमें धुले हुए सारे कपड़े नापाक हो जाते होंगे, अलबत्ता यक़ीन के दर्जे में यह मालूम नहीं कि उसमें नापाक कपड़े भी डाले गए। जवाब तफ़्सीली तहरीर फ़रमाएँ कि यह मसला यहाँ बहस का विषय बना हुआ है।

जवाबः यह तो ज़ाहिर है कि उन मशीनों में जो कपड़े डाले जाते हैं उनमें बहुत से नापाक भी होते होंगे, पाक व नापाक मिलकर सभी नापाक हो जाएँगे। और जैसा कि मामूल है नापाक कपड़े को पाक करने के लिए यह शर्त है कि तीन बार पाक पानी में डाला जाए और हर बार ख़ूब निचोड़ा जाए। ड्राई-क्लीन की दुकानों में इस तदबीर पर अ़मल नहीं होता, इसलिए वहाँ के धुले हुए कपड़े पाक नहीं। अगर कभी वहाँ धुलवाने की नौबात आए तो उनको अपने तौर पर पाक कर लिया जाए।

यह तो उस सूरत में है कि इस बात का ग़ालिब गुमान हो कि मशीन में पाक और नापाक सभी क़िस्म के कपड़े डाले गए। और अगर नापाक कपड़ों के डाले जाने का ग़ालिब गुमान न हो, महज़ शक व शुब्हा हो तो उसका हुक्म यह है कि जिस हालत में आपने कपड़ा दिया था उसी हालत में रहेगा, यानी अगर पाक कपड़ा दिया था तो पाक रहेगा और नापाक दिया था तो नापाक रहेगा।

क्या वाशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े पाक होते हैं

सवालः क्या वाशिंग मशीन से धुले हुए नापाक कपड़े पाक हो जाते हैं? और क्या उनसे नमाज़ हो सकती है?

जवाबः धुलाई मशीन में साबुन के पानी में कपड़ों को धोया जाता है और फिर उस पानी को निकाल कर ऊपर से नया पानी डाला जाता है, और यह अ़मल बार-बार किया जाता है। यहाँ तक कि कपड़ों से साबुन निकल जाता है, इसलिए धुलाई मशीन में धुले हुए कपड़े पाक हैं।

धोबी के धुले हुए कपड़े पाक हैं

सवालः धोबी हमारे कपड़े और जाय-नमाज़ भी धोता है, हमें नहीं मालूम कि वह पाक धोता है कि नहीं, क्या धुले हुए कपड़े और जाय-नमाज़ बिस्मिल्लाह पढ़कर तीन बार झाड़ने से पाक हो जाएँगे? या हमें उसके धोने के बाद ख़ुद पाक करने के लिए धोना होगा?

जवाबः धोबी के धुले हुए कपड़े पाक हैं।

प्लास्टिक के बरतन भी धोने से पाक हो जाते हैं

सवालः आप जानते हैं कि कराची में ज़्यादातर प्लास्टिक के बरतन बनते और इस्तेमाल होते हैं। हमने यह सुन रखा है कि प्लास्टिक नजिस हो जाए (यानी एक नजिस छींट भी पड़ जाए) तो फिर पाक नहीं हो सकता, जबकि तमाम घरों में प्लास्टिक के बरतन और तमाम गुस्लख़ानों में प्लास्टिक की बालटियाँ टप और लोटे वग़ैरह इस्तेमाल होते हैं, और गुस्लख़ाने में आप जानते ही हैं कि छींट वग़ैरह ज़रूर पड़ ही जाती हैं।

जवाबः यह किस अक़्लमन्द ने कहा है कि प्लास्टिक के बरतन पाक नहीं होते? जिस तरह दूसरे बरतन धोने से पाक हो जाते हैं इसी तरह प्लास्टिक के बरतन भी धोने से पाक हो जाते हैं।

बरतन पाक करने का तरीक़ा

सवालः अगर कच्चा बरतन (घड़ा) वग़ैरह नापाक हो जाए या पक्का बरतन (देगची, बालटी) वग़ैरह नापाक हो जाए तो कैसे पाक करें?

जवाबः बरतन कच्चा हो या पक्का तीन बार धोने से पाक हो जाता है।

गन्दगी में गिर जाने वाली घड़ी को पाक करने का तरीक़ा

सवालः मेरी हाथ की क़ीमती घड़ी वाटर-प्रूफ़ रात के नौ

बजे फ़लैश (पाख़ाने) में गिर गई। क़ीमती होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्र और परेशानी हुई। सुबह नौ बजे जमादार ने फ़लैश से घड़ी निकाल दी, यानी बारह घन्टे के बाद घड़ी निकाली गई। उस वक़्त भी वह बिल्कुल सही वक़्त से चल रही थी।

सवाल यह है कि क्या उसे धोकर इस्तेमाल की जा सकती है और उसको पाक करने का सही तरीक़ा क्या है? उसे हाथ पर बाँधकर नमाज़ और तिलावत कर सकते हैं?

जवाबः अगर इत्मीनान है कि पानी उसके अन्दर नहीं गया तो सिर्फ़ ऊपर से धोकर पाक कर लेना काफ़ी है, वरना खोलकर धो लिया जाए और पानी के बजाय पैट्रोल से पाक कर लेना भी काफ़ी है।

रूई और फ़ोम का गद्दा पाक करने का तरीक़ा

सवालः फ़ोम और रूई के गद्दे को किस तरह पाक किया जाए? अगर बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल करने से वह नापाक हो जाए, क्योंकि उमूमन छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं।

जवाबः ऐसी चीज़े जिसको निचोड़ना मुम्किन न हो उसके पाक करने का तरीक़ा यह है कि उसको धोकर रख दिया जाए, यहाँ तक कि उससे क़तरे टपकने बन्द हो जाएँ। इस तरह तीन बार धो लिया जाए।

नापाक कपड़े धूप में सुखाने से पाक नहीं होते

सवालः कहा जाता है कि नये या पुराने कपड़े को हैज़ के दिनों में इस्तेमाल करने के बाद धूप में सुखाने के बाद वे पाक हो जाते हैं।

जवाबः अगर नापाक हो गए थे तो सिर्फ़ धूप में सुखाने से पाक नहीं होंगे, वरना ज़रूरत नहीं। क्योंकि हैज़ के दिनों में पहने हुए कपड़े नापाक नहीं होते, सिवाय उस कपड़े के जिसको नजासत लग गई हो।

हाथ पर ज़ाहिरी नजासत न होने से बरतन नापाक न होगा

सवालः जिस शख़्स पर ग़ुस्ल वाजिब हो अगर वह नजासत वाली जगह और हाथ वग़ैरह साबुन से अच्छी तरह धो ले और उसके बाद अगर हाथ किसी बरतन को लगाए या किसी बरतन में खाना खाए तो वह बरतन नापाक हो जाता है या नहीं?

जवाबः जब उसके हाथ पर ज़ाहिरी नजासत (नापाकी) नहीं तो बरतन क्यों नापाक होगा।

नापाक छींटों से कपड़े नापाक होंगे

सवालः अगर पाक कपड़े पहन कर नापाक कपड़े धोए

जाएँ तो क्या नापाक कपड़ों के छींटों से पाक कपड़े नापाक हो जाएँगे?

जवाबः नापाक छींटों से कपड़ें ज़रूर नापाक होंगे।

नापाक कपड़ा धोने के छींटे नापाक हैं

सवालः कपड़े धोते वक़्त हम पर छींटे पड़ते हैं तो हमारे कपड़े पाक रहते हैं या नहीं? जवाब देकर शुक्रिये का मौक़ा दीजिए।

जवाबः कपड़े अगर नापाक हों तो छींटे भी नापाक होंगे, इसलिए या तो कपड़े धोते वक़्त ऐसे कपड़े पहने जाएँ जो आ़म इस्तेमाल के न हों, या नापाक कपड़ों को पहले एहतियात के साथ पाक कर लिया जाए। जिसका तरीक़ा यह है कि जितनी जगह नजासत लगी है, उसको तीन बार धो दिया जाए।

गन्दे लोगों से टच होने पर कपड़ों की पाकी

सवालः मैं एक कंपाउडर हूँ और हमारे इलाक़े में हिन्दू क़ौमों की अक्सरियत है, और मैं डिस्पेन्सरी में काम करता हूँ। वहाँ पर 90 फ़ीसद हिन्दू मरीज़ आते हैं और ये क़ौमें हिन्दू होने के साथ-साथ रहन सहन में काफ़ी गन्दी हैं। डिस्पेन्सरी छोटी होने की वजह से काफ़ी खिच-पिच हो जाती है और उनके जिस्म और कपड़े मेरे कपड़ों से लगते हैं, क्योंकि मैं एक कम्पाउडर हूँ इसलिए काफ़ी घुल-मिलकर काम करना पड़ता है। इसलिए आप यह बताएँ कि इस तरह मैं उन कपड़ों में

नमाज़ अदा कर सकता हूँ या नहीं? कोई हल बताएँ कि मैं अपने कपड़े पाक रख सकूँ।

जवाबः अगर उनके जिस्म पर ज़ाहिरी कोई नजासत (गंदगी और नापाकी) न हो तो उनके साथ आपके ख़ल्त-मल्त होने से आपके कपड़े नापाक नहीं होते, बग़ैर किसी वहम के उन कपड़ों में नमाज़ पढ़िये।

नापाक जगह सूखने के बाद पाक हो जाती है

सवालः बाज़ घरानों में बल्कि अक्सर घरानों में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो जगह-जगह पेशाब कर देते हैं। क्या ऐसी सूरत में उस जगह बैठने या सोने वाला नमाज़ पढ़ने के क़ाबिल रहता है? याद रहे कि वह जगह साये में सूख गई हो, जवाब देकर तसल्ली फ़रमाएँ।

जवाबः नापाक ज़मीन सूख जाने के बाद नमाज़ के लिए पाक हो जाती है और ऐसी जगह के सूख जाने के बाद वहाँ बग़ैर कपड़ा बिछाए भी नमाज़ पढ़ना जायज़ है, लेकिन अगर तबीयत में कराहत आए तो वहाँ कपड़ा बिछाकर नमाज़ पढ़ ली जाए।

सवालः नापाक जगह ज़मीन वग़ैरह को किस तरह पाक किया जा सकता है? क्योंकि पुख़्ता होने की सूरत में धोकर पाक हो जाएगा लेकिन कच्ची जगह जैसे कच्चा सेहन या कच्ची छत वग़ैरह तो उसके लिए क्या हुक्म है?

जवाबः ज़मीन सूख जाने से पाक हो जाती हैख उस पर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, मगर उससे तयम्मुम करना दुरुस्त

नहीं।

जिस चीज़ का नापाक होना यक़ीनी या ग़ालिब न हो वह पाक समझी जाएगी

सवालः जनाब! मैं अक्सर कपड़े या कोई नापाक चीज़ धोते वक़्त शक में पड़ जाता हूँ। बाद में यह ख़्याल आता है कि यह शक की बिना पर धोया है, इसी तरह कोई चीज़ वाक़ई नापाक हो जाए तब भी परेशानी रहती है।

जवाबः जिस चीज़ का नापाक होना यक़ीनी या ग़ालिब न हो उसको पाक ही समझा कीजिए, चाहे कितने ही वस्वसे (ख़्यालात) आएँ उनकी परवाह न कीजिए। और जिसके बारे में ग़ालिब गुमान हो कि यह नापाक होगी उसको पाक कर लिया कीजिए। उसके बाद वस्वसा (कोई वहम और ख़्याल) न कीजिए।

पाकी में शैतान के वस्वसे को ख़त्म करने की तरकीब

सवालः मैं अगरचे यक़ीनी तौर पर किसी नापाक चीज़ को धोता हूँ मगर एक शक ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। इस वजह से मैं तक़रीबन हर वक़्त परेशान रहता हूँ। क़ुरआन व हदीस की रोशनी में वाज़ेह फ़रमा दें।

जवाबः इस शक का इलाज यह है कि आप कपड़ा या चीज़ तीन बार धो लिया कीजिए और (कपड़े को हर बार

निचोड़ा भी जाए) बस पाक हो गई। उसके बाद अगर शक हुआ करे तो उसकी कोई परवाह न कीजिए बल्कि शैतान को यह कहकर धुतकार दीजिए कि ओ मरदूद! जब अल्लाह और रसूल इसको पाक कह रहे हैं तो मैं तेरे शक डालने की परवाह क्यों करूँ? अगर आपने मेरी इस तदबीर पर अ़मल किया तो इन्शा-अल्लाह आपको शक और वहम की बीमारी से निजात मिल जाएगी।

जिन कपड़ों को कुत्ता छू जाए उनका हुक्म

सवालः आजकल मुसलमान अंग्रेज़ों की तरह कुत्ते पालते हैं, अगर ये कुत्ते कपड़ों या बदन के हिस्सों के साथ लग जाएँ तो क्या वह जगह नापाक हो जाएगी? अगरचे कुत्ते का बदन गीला न हो?

जवाबः जो लोग शौक़िया कुत्ते पालते हैं उनके लिए पाक नापाक का सवाल ही नहीं। अगर उनको नापाक समझते तो उनसे नफ़रत भी करते। कुत्ते के बदन से अगर कपड़ा या कोई और चीज़ टच हो जाए तो वह नापाक नहीं होती, जबकि उसके बदन पर कोई ज़ाहिरी नजासत न हो, चाहे उसका बदन खुश्क हो या गीला। अलबत्ता कुत्ते का लुआ़ब (मुँह की राल और थूक) जिस चीज़ को लग जाए वह नापाक है और कुत्ता उमूमन कपड़ों को मुँह लगा देता है। पस जिस कपड़े को कुत्ते ने मुँह लगा दिया हो वह नापाक हो जाएगा।

कुत्ते का लुआ़ब नापाक है

सवालः अगर कुत्ता हाथ या पाँव पर ज़बान फेर दे तो

क्या बदन भी पलीद (नापाक) हो जाएगा?

जवाबः कुत्ते का लुआ़ब (थूक और मुँह की राल) नजिस भी है और ज़हर भी, इसलिए जिस जगह कुत्ते का लुआ़ब लगे वह नापाक है और उसको साफ़ करना लाज़िम है।

क्या छोटा कुत्ता भी नापाक है?

सवालः अगर बड़ा कुत्ता पलीद (नापाक) है तो छोटा कुत्ता यानी कुत्ते का कम-उम्र बच्चा पलीद है या पाक?

जवाबः छोटे और बड़े कुत्ते का एक ही हुक्म है, अल्लाह तआ़ला आपको कुत्तों के शौक़ के बजाए उनसे नफ़रत नसीब फ़रमाए।

बिल्ली के जिस्म से कपड़े छू जाएँ तो?

सवालः मेरी एक दोस्त है जो मेरे घर आई थी, बिल्ली से भाग कर क़ुर्सी पर पैर उठाकर बैठ गई। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगी कि बिल्ली अगर कपड़ों से लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं और नमाज़ नहीं होती, जबकि मेरी दादी ने कहा कि बिल्ली अगर सूखी हो तो नमाज़ हो सकती है, हाँ अगर बिल्ली गीली हो तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। आप इस्लाम की रोशनी में इसके बारे में क्या कहते हैं?

जवाबः बिल्ली के साथ कपड़े लगने से नापाक नहीं होते चाहे बिल्ली सूखी हो या गीली हो, बशर्ते कि उसके बदन पर कोई ज़ाहिरी नजासत न हो।

नापाक चर्बी वाला साबुन

सवालः मुर्दार और हराम जानवरों की चर्बी के साबुन से तहारत हो जाती है और नमाज़ें वग़ैरह दुरुस्त और ठीक हैं या नहीं?

जवाबः नापाक चर्बी का इस्तेमाल जायज़ नहीं, लेकिन ऐसे साबुन का इस्तेमाल करना जिसमें यह चर्बी डाली गई हो जायज़ है, क्योंकि साबुन बन जाने के बाद उसकी माहियत (हक़ीक़त व असलियत) तब्दील हो जाती है।